उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य हैं:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	(1)	पदेन– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	(2)	पदेन– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	(3)	पदेन– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(4)	पदेन– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(5)	पदेन– संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(6)	पदेन– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(7)	पदेन– संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	(8)	डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(9)	डॉ0 नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	(10)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर
	(11)	डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	(12)	डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	(13)	पदेन
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	(14)	डॉ0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं, उ0प्र0
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	(15)	पदेन
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	(16)	पदेन
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	(17)	पदेन
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	(18)	पदेन– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे से कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

दिनांक 26.11.2024 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे:–

(1) डॉ0 प्रभात कुमार सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – अध्यक्ष
(2) डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(3) डॉ0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं, उत्तर प्रदेश – सदस्य
(4) डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ वर्तमान निदेशक, आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) – सदस्य
(5) डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(6) श्रीमती बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(7) डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(8) डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(9) डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(10) डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(11) डॉ0 नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
(12) डॉ0 चन्द्रवीर सिंह, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य सचिव

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–14(4) में यह व्यवस्था है कि "वित्त अधिकारी को कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।" इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्री विपिन कुमार, मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा वित्त अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में प्रतिभाग किया गया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 में कुल 18 में से 12 सदस्य उपस्थित रहे एवं 6 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष– कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त सदस्य सचिव–कार्य परिषद/कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष–कार्य परिषद की अनुमति से कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:–

एजेन्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
एजेण्डा बिन्दु 12–1 **कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। **प्रस्ताव–** कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 का कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 का कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	
एजेण्डा बिन्दु 12–2 कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	**प्रस्ताव–** मा0 कार्य परिषद उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
एजेण्डा बिन्दु 12–3 विश्वविद्यालय की छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा तैयार की गई **Student Grievance Redressal Policy of U.P. University of Medical Sciences** पर अनुमोदन के संबंध में।	**प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय के छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु गठित Students Grievance Redressal Committee द्वारा तैयार की गई Student Grievance Redressal Policy of U.P. University of Medical Sciences पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु गठित Students Grievance Redressal Committee द्वारा तैयार की गई Student Grievance Redressal Policy of U.P. University of Medical Sciences पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 12–4 विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई **Standard Operating Procedure of Examination Process** पर अनुमोदन के संबंध में	**प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से संबंधित नियामक निकायों के अनुरूप परीक्षाओं के संचालन के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई Standard Operating Procedure of Examination Process पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से संबंधित नियामक निकायों के अनुरूप परीक्षाओं के संचालन के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई Standard Operating Procedure of Examination Process पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 12–5 विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के संबंध में की गई संस्तुतियों से संबंधित सीलबंद लिफाफों खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र/पदोन्नति आदेश जारी करने हेतु दिये गये अनुमोदन के संबंध में कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।	**कृत कार्यवाही:** एच0आर0 समिति द्वारा चयन समिति/प्रोन्नति समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों से संबन्धित कार्यवृत्त जो कि लिफाफों में सीलबंद सुरक्षित रखी गई थीं, को खोलकर परिणाम घोषित किया गया व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त से संबंधित विवरण निम्नवत् है:– **Advt..No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 dated 15.06.2023 -** एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है:–

S. No.	Department	Applied post	Name of the candidate	Category	Remarks
1	Surgical Gastroenterology (Gastro- surgery)	Assistant Professor	Dr. Vipin Kumar Sharma	UR	Selected
2	Forensic Medicine	Assistant Professor	Dr. Avinash Kumar	UR	Selected

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

3	Emergency Medicine	Assistant Professor	Dr. Dharm Raj Singh	UR	Selected with one advance increment
4	Transfusion Medicine	Assistant Professor	Dr.Yatendra Mohan	UR	Selected
			Dr. Arvind Kumar Singh	OBC	Selected
5	Ophthalmology	Assistant Professor	Dr. Dipti Joshi	UR	Selected
			Dr. Himanshi Yadav	OBC	Selected
			Dr. Nisha Bharti	SC	Selected
6	Orthopedics	Assistant Professor	Dr. Rajeev Kumar	UR	Selected
7	Pharmacology	Associate Professor	Dr. Arpit Verma	UR	Selected
8	Community Medicine	Associate Professor	Dr. Gagan Deep Kaur	UR	Selected
		Assistant Professor	Dr. Sugandhi Sharma	UR	Selected
9	Respiratory Medicine	Assistant Professor	Dr. Somnath Bhattacharya	UR	Selected
10	Physiology	Assistant Professor	Dr. Amita Singh	UR	Selected
			Dr. Pravesh Kumar	OBC	Selected
11	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Nishant Sharma	UR	Selected
			Dr. Priyank Verma	OBC	Selected
12	General Surgery	Assistant Professor	Dr. Vipul Kumar Srivastava	UR	Selected
			Dr. Kumar Ashish	UR	Selected
			Dr. Sunil Kumar	UR	Selected
13	Obstetrics and Gynaecology	Assistant Professor	Dr. Akanksha Sharma	UR	Selected
			Dr. Namita Doharey	SC	Selected
14	Paediatric Surgery	Assistant Professor	Dr. Kumar Ashish	UR	Selected
15	Oto- rhino-laryngology (ENT)	Assistant Professor	Dr. Rajeev Saxena	UR	Selected
16	PMR	Assistant Professor	Dr. Javed Ahmad	UR	Selected
			Dr. Dhirendra Kumar Singh	UR	Selected
17	Radiation Oncology	Assistant Professor	Dr. Arun Kumar Yadav	UR	Selected
			Dr. Prabha Verma	SC	Selected against UR
			Dr. Siddharth Kumar	SC	Selected
18	Pathology	Associate Professor	Dr. Pushpa Batham	UR	Selected
		Assistant Professor	Dr. Kusha Sharma	UR	Selected
			Dr. Arti Agarwal	UR	Selected
			Dr. Deepika	UR	Selected
			Dr. Shabana Andleeb Ansari	UR	Selected
			Dr. Neha Yadav	OBC	Selected
			Dr. Alka Yadav	OBC	Selected
			Dr. Manzeela Swale	OBC	Selected
			Dr. Priyanka Singh	SC	Selected
19	Urology	Assistant Professor	Dr. Ankit Sachan	OBC	Selected against UR
			Dr. Shiraz Akif Mohammad	OBC	Selected
20	Microbiology	Assistant Professor	Dr. Uneza Husain	UR	Selected
			Dr. Nidhi Yaduvanshi	UR	Selected
			Dr. Sanchi Kashyap	OBC	Selected
			Dr. Radhika Chaudhary	OBC	Selected
			Dr. Anushika Soni	SC	Selected
21	Biochemistry	Associate Professor	Dr. Abhishek Sharma	UR	Selected
			Dr. Rajesh Kumar Thakur	UR	Selected
		Assistant Professor	Dr. Shristi Dhar Prasad	UR	Selected
			Dr. Divya S	UR	Selected
			Dr. Azmat Kamal Ansari	UR	Selected
22	Anaesthesiology	Associate Professor	Maj. Vikram Singh Rathore	UR	Selected
		Assistant Professor	Dr. Roshan Andleeb	UR	Selected
			Dr. Purva Kumravat	UR	Selected
			Dr. Matendra Singh Yadav	OBC	Selected

Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 - Merged Cycle 2 & 3 - एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है:—

S. No.	Name of department	Posts	Name of Candidate	Category	Remark
1	Orthopaedics	Assistant Professor	Dr. Jitesh Arora	UR	Selected
2	Ophthalmology	Assistant Professor	Dr. Ahmad Husain	UR	Selected
3	Anaesthesiology	Assistant Professor	Dr. Raghvendra Singh	SC	Selected
4	Oto- rhino-laryngology (ENT)	Assistant Professor	Dr. Tejswi Gupta	UR	Selected
5		Assistant Professor	Dr. Jyoti Kumar Verma	OBC	Selected

कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ०प्र०

डॉ० पी०के० सिंह
कुलपति

6	Community Medicine	Assistant Professor	Dr. Sonam Kushwaha	OBC	Selected
7	CVTS	Assistant Professor	Dr. Abhishek Annand	UR	Selected
8	General Medicine	Associate Professor	Dr. Waleem Ahmad	UR	Selected
9	General Surgery	Assistant Professor	Dr. Sudhanshu Mishra	UR	Selected
10	Dentistry (Periodontology)	Associate Professor	Dr. Prerna Kataria	SC	Selected
11	Nephrology	Assistant Professor	Dr. Lakshya Kumar	UR	Selected
12	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Dushyant Rastogi	UR	Selected
13	Pathology	Associate Professor	Dr. Himanshu R Joshi	UR	Selected
14	PMR	Assistant Professor	Dr. Sanjai Singh	SC	Selected
15	Forensic Medicine	Assistant Professor	Dr. Amrendra Kumar	SC	Selected
16	Biochemistry	Assistant Professor	Dr. Vivek Anand Ojha	UR	Selected
17		Assistant Professor	Dr. Pragati Sharad Khanorkar	UR	Selected
18	Microbiolgy	Assistant Professor	Dr. Gargi Upadhyaya	UR	Selected
19		Assistant Professor	Dr. Deepak Kumar	OBC	Selected
20	Psychiatry	Assistant Professor	Dr. Kaustav Kundu	UR	Selected
21		Assistant Professor	Dr. Prashant Choudhary	OBC	Selected

Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 - Cycle 4 - एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/चयन समिति का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत हैः–

S. No.	Name of Department	Posts	Name of Candidate	Category	Remark
1	Pathology	Associate Professor	Dr. Shabana Andleeb Ansari	UR	Selected
2	Anaesthesiology	Assistant Professor	Dr. Himanshu Prince Yadav	OBC	Selected
3	Emergency Medicine	Assistant Professor	Dr. Sameer Gupta	UR	Selected
4	Emergency Medicine	Assistant Professor	Dr. Mukesh Kumar	SC	Selected
5	Endocrine Surgery	Assistant Professor	Dr. Ganesh Bhat	UR	Selected
6	Gastroenterology (Medical)	Assistant Professor	Dr. Prafulla Kumar Singh	UR	Selected
7	Gastroenterology (Medical)	Assistant Professor	Dr. Sumit Kumar Suman	UR	Selected
8	General Medicine	Assistant Professor	Dr. Anita	SC	Selected
9	Microbiology	Assistant Professor	Dr. Vishwanath Singh Yadav	OBC	Selected
10	PMR	Assistant Professor	Dr. Chandan Sharma	OBC	Selected
11	Respiratory Medicine	Assistant Professor	Dr. Namrata	OBC	Selected
12	Radiodaignosis	Assistant Professor	Dr. Shiv Prasad Yadav	UR	Selected
13	Psychiatry	Assistant Professor	Dr. Mohit Kumar Shahi	UR	Selected

चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों में अर्ह चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 09.10.2023–12.10.2023 एवं दिनांक 17.10.2023–20.10.2023 तक प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। एच0आर0 समिति का कार्यवृत्त/प्रोन्नति समिति का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। संबंधित चिकित्सा शिक्षकों को पदोन्नति आदेश जारी किया जा चुका है। पदोन्नत चिकित्सा शिक्षकों का विवरण निम्नवत हैः–

S.	Department	Name	Post held	Promotional post	Promotion will be given w.e.f	Remarks
1.	Community Medicine	Dr Naresh Pal Singh	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
2.	Community Medicine	Dr Vidya Rani	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
3.	Community Medicine	Dr Dhiraj Kumar Srivastava	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
4.	Respiratory Medicine	Dr Aditya Kumar Gautam	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
5.	Respiratory Medicine	Dr Prashant Yadav	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

6.	General Medicine	Dr Vijay Kumar Verma	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
7.	Paediatrics	Dr Durgesh Kumar	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
8.	Paediatrics	Dr Ramesh Chand	Assistant Profesor	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
9.	Paediatrics	Dr Ganesh Kumar Verma	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
10.	General Surgery	Dr Anil Kumar	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
11.	General Surgery	Dr Shesh Kumar	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
12.	General Surgery	Dr Rajesh Verma	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
13.	ENT	Dr Jitendra Pratap Singh Chauhan	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
14.	ENT	Dr Ritu Gupta	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	-------------	**As per decision of Executive Council of the University the candidate has been punished so her promotion will be granted after 2 years.**
15.	Obs & Gynae	Dr.Soniya Vishwakarma	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
16.	Obs & Gynae	Dr Nupur Mittal	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
17.	Paediatric Surgery	Dr Umesh Kumar Gupta	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
18.	Orthopaedics	Dr Ankit Mittal	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
19.	Orthopaedics	Dr Jasveer Singh	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
20.	Orthopaedics	Dr Harish Kumar	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
21.	Orthopaedics	Dr Pradeep Kumar Gupta	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
22.	Ophthalmolo gy	Dr Reena Sharma	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2021	Recommended for promotion by the committee
23.	Neuro Surgery	Dr Mohd. Faheem	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
24.	Neuro Surgery	Dr Hanuman Prasad Prajapati	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
25.	Dentistry	Dr Atul Kumar Singh	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
26.	Dentistry	Dr Gaurav Jain	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
27.	Dentistry	Dr Vijay Mishra	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
28.	Pathology	Dr Mani Krishna	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
29.	Pathology	Dr Seema Dayal	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
30.	Pathology	Dr Vineet Chaturvedi	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	-------------	**Not recommended for promotion by the committee**
31.	Pathology	Dr Sanjay Kannaujia	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
32.	Pathology	Dr Rashmi	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
33.	Urology	Dr Mohd. Mubashir Ali Khan	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
34.	Biochemistry	Dr. Ajay Kumar	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
35.	Anaesthesia	Dr Dheer Singh	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	-------------	**Not recommended for promotion by the committee**
36.	Anaesthesia	Dr Rakesh Bahadur Singh	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
37.	Anaesthesia	Dr Atit Kumar	Associate Prof.	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
38.	Anaesthesia	Dr Jay Brijesh Singh Yadav	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2022	Recommended for promotion by the committee
39.	Anaesthesia	Dr Amit Kumar Singh	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2021	Recommended for promotion by the committee

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

40	Anaesthesia	Dr Manoj Kumar	Prof. (Jr.Gr.)/ Additional Prof.	Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
41	Anatomy	Dr Yadav Nisha Raj Bahadur Singh	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	Recommended for promotion by the committee
42	Cardiology	Dr. Sameer Saraf	Assistant Prof.	Associate Prof.	01-07-2023	The envelope is sealed and will be opened after the candidate is exonerated from all the charges levied against him

प्रस्ताव– विभिन्न ब्रॉड स्पेशलिटी एवं सुपरस्पेशलिटी विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित Rolling Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 दिनांक 15.06.2023, Rolling Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 - Merged Cycle 2 & 3 तथा Rolling Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 - Cycle 4 के संबंध में चयन समिति के कार्यवृत्त के सीलबंद लिफाफों को खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने एवं चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों के अर्ह चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित पदोन्नति समिति के कार्यवृत्त के सीलबंद लिफाफों को खोलकर परिणाम घोषित करने व पदोन्नति आदेश जारी करने के संबंध में विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – विभिन्न ब्रॉड स्पेशलिटी एवं सुपरस्पेशलिटी विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित Rolling Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 दिनांक 15.06.2023, Rolling Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 - Merged Cycle 2 & 3 तथा Rolling Advt. No. UPUMS/ACAD/29/2023-24 - Cycle 4 के संबंध में चयन समिति के कार्यवृत्त के सीलबंद लिफाफों को खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने एवं चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों के अर्ह चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित पदोन्नति समिति के कार्यवृत्त के सीलबंद लिफाफों को खोलकर परिणाम घोषित करने व पदोन्नति आदेश जारी करने के संबंध में विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 12–6

विश्वविद्यालय के 05 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।

विगत वर्षों में विश्वविद्यालय के 05 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में 05 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की गई अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित विवरण निम्नवत है:–

क्र. सं.	मृतक कार्मिक का नाम, पदनाम, वेतनमान एवं योगदान तिथि	देहान्त की तिथि	मृतक कार्मिक के आश्रित का विवरण जिन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई	
			नाम एवं मृतक कार्मिक से संबंध	पदनाम एवं वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**स्व0 श्री अजय कुमार,** वार्ड ब्वाय, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1), योगदान तिथि 10.07.2021	04.05.2023	**श्री अमन शाक्य,** पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह उर्फ उपेस्द्र सिंह (भाई)	**वार्ड ब्वाय,** पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1)
2.	**स्व0 श्रीमती जरीना बानो,** सिस्टर ग्रेड–1, पे–मैट्रिक्स रू0 47600–151100 (लेवल–8), योगदान तिथि 10.01.2007	08.07.2019	**सुश्री आरिफा खान,** (पुत्री)	**हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2,** पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1)

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

3.	**स्व0 श्रीमती रूपाली चौधरी,** स्टाफ नर्स, पे–मैट्रिक्स रू0 44900–142400 (लेवल–7), योगदान तिथि 15.11.2014	19.09.2023	**श्री नीरज चौधरी,** (पति)	**जूनियर क्लर्क,** पे–मैट्रिक्स रू0 21700–69100 (लेवल–3)
4.	**स्व0 श्री मनोज कुमार शर्मा,** वार्ड ब्वाय, पे–मैट्रिक्स रू0 19900–63200 (लेवल–2), योगदान तिथि 01.12.2008	16.11.2023	**श्रीमती पवन शर्मा,** (पत्नी)	**हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2,** पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1)
5.	**स्व0 श्री रामशरण यादव,** हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–1, पे–मैट्रिक्स रू0 19900–63200(लेवल–2), योगदान तिथि 01.12.2008	05.04.2024	**श्री सुधीर कुमार,** (पुत्र)	**हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2,** पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1)

प्रस्तावः विश्वविद्यालय के उक्त 05 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के 05 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–7</u>

विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 01/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 18.05.2023, विज्ञापन सं0 34/UPUMS/Recruitment Cell/2023-24 दिनांक 30.11.2023 एवं विज्ञापन सं0 36/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 30.01.2024 द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन सं0 01/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 18.05.2023, विज्ञापन सं0 34/UPUMS/Recruitment Cell/2023-24 दिनांक 30.11.2023 एवं विज्ञापन सं0 36/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा Common Eligibility Test के आधार पर विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे। विज्ञापनवार पदों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	विज्ञापन सं0	विज्ञापित पद		विज्ञापित पदों की संख्या	वेतनमान
1.	01/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 18.05.2023	Nursing Officer		600	Level-7
2.	34/UPUMS/Recruitment Cell/2023-24 दिनांक 30.11.2023	1	Senior Administrative Assistant	19	Level-4
		2	Receptionist	19	Level-5
		3	Medical Social Service Officer Gr. – 2	12	Level-6
		4	Dietician	4	Level-7
		5	Stenographer	20	Level-4
		6	Librarian Grade – 2	4	Level-6
		7	Junior Engineer - Electrical Engineering	1	Level-6
		8	Junior Engineer - AC Engineering	1	Level-6
		9	Junior Engineer - Telecommunication / CCTV Engineering	1	Level-6
		10	Junior Engineer - Mechanical Engineering	1	Level-6
		11	Junior Engineer - Civil Engineering	1	Level-6
		12	Draftsman	1	Level-4
		13	Assistant Security Officer	3	Level-8
		14	Sanitation Inspector	6	Level-5
		15	Jr. Medical Record Officer	4	Level-5
		16	Technical Officer (Biomed)	4	Level-6
		17	Medical Lab Technologist	30	Level-6
		18	Technician (O.T)	15	Level-6
		19	Technician (Radiology)	23	Level-6
		20	Technician (Radiotherapy)	10	Level-6
		21	Technician (CSSD)	4	Level-5
		22	O.T Assistant	15	Level-5

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

		23 Technical Assistant (Cardiology)	5	Level-5
		24 Technical Assistant (Neurophysiology)	2	Level-5
		25 Technician (Dialysis)	4	Level-5
3.	36/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 30.01.2024	Nursing Officer	535 (500 Fresh + 35 Backlog)	Level-7

उक्त विज्ञापनों के अन्तर्गत कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के आयोजन/चयन संबंधी कार्यवाही एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराने एवं कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

पृष्ठभूमि: विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से नियुक्ति हेतु कार्यालय आदेश सं0 1380 दिनांक 22.07.2023 के द्वारा समिति गठित की गई थी, अग्रेत्तर उक्त समिति को कार्यालय आदेश सं0 1652 दिनांक 09.08.2023 के द्वारा वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव को सम्मिलित करते हुए संशोधित किया गया एवं कार्यालय आदेश सं0 5601 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा श्री सेम्बियन एन0, एसो0 प्रोफेसर, नर्सिंग संकाय के स्थान पर श्री प्रमोद कुमार, असि0 प्रोफेसर, फार्मेसी संकाय को सम्मिलित किया गया। उक्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के आयोजन संबंधी कार्यवाही की गई।

कृत कार्यवाही: विज्ञापनवार कृत कार्यवाही से संबंधित विवरण निम्नवत् है:–

विज्ञापन सं0 01/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 18.05.2023: नर्सिंग ऑफीसर, लेवल–7 वेतन मेट्रिक्स रू. 44900–142400 के 600 पदों हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि 19–05–2023 से 08–06–2023 थी। उक्त भर्ती परीक्षा दिनांकः 02 जुलाई, 2023 को पूरे देश के 20 राज्यों के 42 जिलों में स्थापित 76 परीक्षा केन्द्रों पर फर्म मै0 टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मुम्बई के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based Test) आयोजित की गयी। परीक्षा में कुल 20028 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 16222 (81%) अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उक्त परीक्षा का परिणाम शेष प्रक्रिया पूरी करते हुए दिनांकः 01 सितम्बर, 2023 को जारी किया गया। परीक्षा परिणाम/सफल 600 अभ्यर्थियों की सूची अलग बुकलेट में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 27/यूपीयूएमएस/सीबीटी–23(937)/ फएण्डए/2023–24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के माध्यम से गठित समिति द्वारा सफल 600 अभ्यर्थियों में से दिनांक 21.09.2023 को क्रमांक 1–100 तक, दिनांक 22.09.2023 को क्रमांक 101–200 तक, दिनांक 23.09.2023 को क्रमांक 201–300 तक, दिनांक 25.09.2023 को क्रमांक 301–400 तक और दिनांक 26.09.2023 को क्रमांक 401–500 तक और दिनांक 27.09.2023 को क्रमांक 501–600 तक के अभ्यर्थियों को डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था। डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कुल 499 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए जिनमें से 486 अभ्यर्थियों की डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्णतः सही पाये गये व 13 अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में कतिपय

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

कमियां पाई गईं। कुल 101 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

कुल 600 अभ्यर्थियों में से शेष बचे 101 अभ्यर्थी (पूर्व में अनुपस्थित) व 13 अभ्यर्थी (जिनके पूर्व में किये गये डाकूमेंट वेरिफिकेशन में कतिपय कमियां पाई गयी थीं) को डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विश्वविद्यालय में दिनांक 21.12.2023 व 22.12.2023 को अमंत्रित किया गया। उक्त दिवसों में डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उक्त 101 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 05 अभ्यर्थी तथा 13 अभ्यर्थी के सापेक्ष 07 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए, जिनमें से 12 अभ्यर्थियों के डाकूमेंट वेरिफिकेशन पूर्णतः सही पाये गये।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र सं0 एम0ई0–1/2023/4132 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवनियुक्त स्टाफ नर्सों के नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी कार्यक्रम दिनांक 05.12.2023 को लोकभवन स्थित ऑडिटोरियम, उत्तर प्रदेश, सचिवालय, लखनऊ में प्रस्तावित है तथा चिन्हित किये गये नव चयनित 150 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया गया। यह भी अवगत कराया गया कि स्टाफ नर्स के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समापन के पश्चात क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से शेष नियुक्ति पत्र वितरण कराना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के क्रम में दिनांक 05.12.2023 के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हेतु सभी 486 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से वितरण हेतु तैयार किये गये, दिनांक 05.12.2023 को कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों को मा0 मुख्यमंत्री जी/क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किये गये तथा शेष अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 21.12.2023 व 22.12.2023 को आयोजित डाकूमेंट वेरिफिकेशन में eligible 12 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किये जा चुके हैं।

विज्ञापन सं0 34/UPUMS/Recruitment Cell/2023-24 दिनांक 30.11.2023: विज्ञापित 209 विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि 22–12–2023 से 15–04–2024 थी। उक्त भर्ती परीक्षा दिनांकः 30 मार्च, 2024 को पूरे देश के 10 राज्यों के 15 जिलों में स्थापित 19 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में फर्म मै0 टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मुम्बई के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based Test) आयोजित की गयी। परीक्षा में कुल 6871 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें प्रथम पाली में कुल 2565 अभ्यर्थियों में से 2085 (81%) उपस्थित रहे तथा द्वितीय पाली में 4306 अभ्यर्थियों में से 3764 (87%) उपस्थित रहे। उक्त परीक्षा का परिणाम शेष प्रक्रिया पूरी करते हुए दिनांकः 22 फरवरी, 2024 को जारी किया गया।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 5367/यूपीयूएमएस/सीआरटी–2023–24 (1953–सीडी)(revised) दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा सफल अभ्यर्थियों का डाकूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य दिनांक 03–05 मार्च, 2024 के मध्य कराया गया, जिसमें कुल 210 अभ्ययर्थी eligible पाये गये। डाकूमेंट

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

वेरिफिकेशन में eligible अभ्यर्थियों का विवरण/समिति की आख्या अलग बुकलेट में प्रस्तुत है। Senior Administrative Assistant और Stenographer पदों पर eligible अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट लिया गया जिसमें क्रमशः 06 एवं शून्य अभ्यर्थी सफल हुए।

उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत विज्ञापित विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों के सापेक्ष आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डाकूमेंट वेरिफिकेशन/स्किल टेस्ट उपरांत कुल 137 अभ्यर्थी अंतिम रूप चयनित हुए। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवनिर्मित सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण एवं नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के कर कमलों द्वारा दिनांक 06.03.2024 को किये जाने का कार्यक्रम था, जिसमें नव चयनित 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। सभी नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से वितरण हेतु तैयार किये गये। कुल 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 06.03.2024 को विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वितरित किया गया तथा शेष अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र डाक के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके हैं।

डाकूमेंट वेरिफिकेशन में ineligible घोषित किये गये अभ्यर्थियों में से 01 अभ्यर्थी दिनांक 24.06.2024 को आयोजित द्वितीय डाकूमेंट वेरिफिकेशन में सुश्री भावना गौतम, एम0एस0एस0ओ0 ग्रेड–2 उपस्थित हुईं तथा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में सफल पाई गयीं तथा उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

डाकूमेंट वेरिफिकेशन में ineligible घोषित किये गये अभ्यर्थियों में से 01 अभ्यर्थी श्रीमती शंकरवती, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 द्वारा मा0 कुलपति महोदय को प्रत्यावेदन दिया गया, जिसके क्रम में गठित 04 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट तथा विधिक परामर्श के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

<u>विज्ञापन सं0 36/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 30.01.2024:</u> नर्सिंग ऑफीसर, लेवल–7 वेतन मेट्रिक्स रू. 44900–142400 के 535 (500 Fresh + 35 Backlog) पदों पर ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि 23–02–2024 से 14–03–2024 थी। उक्त भर्ती परीक्षा दिनांकः 30 मार्च, 2024 को पूरे देश के 21 राज्यों के 43 जिलों में स्थापित 92 परीक्षा केन्द्रों पर फर्म मै0 टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मुम्बई के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based Test) आयोजित की गयी। परीक्षा में कुल 27622 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 25262 (91.46%) अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उक्त परीक्षा का परिणाम आदर्श आचार संहिता हटने के उपरान्त शेष प्रक्रिया पूरी करते हुए दिनांकः 18 जुलाई, 2024 को जारी किया गया। परीक्षा परिणाम/सफल अभ्यर्थियों की सूची अलग बुकलेट में अवलोकनार्थ रक्षित है।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 1296/यूपीयूएमएस/सीबीटी–2024 (2047–सीडी)/2024–25 दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा सफल कुल 532 अभ्यर्थियों का डाकूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य दिनांक 29.07.2024 को क्रमांक 1–75 तक, दिनांक 30.07.2024 को क्रमांक 76–175 तक, दिनांक 31.07.2024 को क्रमांक 176–275 तक, दिनांक 01.08.2024 को क्रमांक 276–375 तक, दिनांक 02.08.2024 को क्रमांक 376–475 तक और दिनांक 03.08.

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

2024 को क्रमांक 476–532 तक के अभ्यर्थियों का डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था। डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कुल 400 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए। इन अभ्यर्थियों में से 379 अभ्यर्थियों के डाकूमेंट वेरिफिकेशन पूर्णतः सही पाये गये व 21 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कतिपय विसंगतियां पाई गईं। कुल 132 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

उक्त विज्ञापन के सापेक्ष दिनांकः 18 जुलाई, 2024 को जारी परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट जिसमें 532 अभ्यर्थियों के नाम थे, समिति द्वारा यह पाया गया कि 03 अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं हैं। तद्क्रम में उक्त 03 अभ्यर्थियों के नाम Addendum जारी करते हुए प्रकाशित किये गये तथा इन्हें आगामी तिथियों में आयोजित किये जाने वाले डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अर्ह माना गया। इस प्रकार कुल अभ्यर्थियों की संख्या 535 तथा दिनांक 29.07.2024 से दिनांक 03.08.2024 के मध्य आयोजित डाकूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 135 हो गई।

कुल 535 अभ्यर्थियों में से शेष बचे 135 अभ्यर्थी (पूर्व में अनुपस्थित) व 21 अभ्यर्थी (जिनके पूर्व में किये गये डाकूमेंट वेरिफिकेशन में कतिपय कमियां पाई गयी थीं) को डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विश्वविद्यालय में दिनांक 05.09.2024 व 06.09.2024 को अमंत्रित किया गया। उक्त दिवसों में डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उक्त 135 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 03 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जो eligible पाये गये तथा 21 अभ्यर्थी के सापेक्ष 06 अभ्यर्थी eligible पाये गये।

मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से सभी 386 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है।

नियम/प्रस्ताव का आधारः विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तावः विज्ञापन सं0 01/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा नर्सिंग ऑफीसर, लेवल–7 वेतन मेट्रिक्स रू. 44900–142400 के 600 पदों के सापेक्ष चयनित कुल 498 अभ्यर्थियों, विज्ञापन सं0 34/UPUMS/Recruitment Cell/2023-24 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा विज्ञापित विभिन्न 209 गैर–शैक्षणिक पदों के सापेक्ष चयनित कुल 139 अभ्यर्थियों एवं विज्ञापन सं0 36/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा नर्सिंग ऑफीसर, लेवल–7 वेतन मेट्रिक्स रू. 44900–142400 के 535 (500 Fresh + 35 Backlog) पदों के सापेक्ष चयनित कुल 388 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – विज्ञापन सं0 01/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा नर्सिंग ऑफीसर, लेवल–7 वेतन मेट्रिक्स रू. 44900–142400 के 600 पदों के सापेक्ष चयनित कुल 498 अभ्यर्थियों, विज्ञापन सं0 34/UPUMS/Recruitment Cell/2023-24 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा विज्ञापित विभिन्न 209 गैर–शैक्षणिक पदों के सापेक्ष चयनित कुल 139 अभ्यर्थियों एवं विज्ञापन सं0 36/UPUMS/CBT/2023-24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा नर्सिंग ऑफीसर, लेवल–7 वेतन मेट्रिक्स रू. 44900–142400 के 535 (500 Fresh + 35 Backlog) पदों के सापेक्ष चयनित कुल 388 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 12–8 **विश्वविद्यालय की Students Grievance Redressal Committee के निर्णयों के विरूद्ध छात्रों द्वारा की जाने वाली अपीलों को सुनने/निर्णय लिये जाने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा Ombudsperson की नियुक्ति तथा निर्धारित की गई Sitting Fee हेतु कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।**	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिंदु 11–16 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा Ombudsperson की नियुक्ति हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय की Students Grievance Redressal Committee के निर्णयों के विरूद्ध छात्रों द्वारा की जाने वाली अपीलों को सुनने/निर्णय लिये जाने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा Ombudsperson के रूप में डॉ0 दीपक मालवीय, प्रोफेसर (से0नि0), एनेस्थिसियोलॉजी/पूर्व निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की नियुक्ति तथा Ombudsperson हेतु sitting fee रू0 5000/– प्रति sitting निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय की Students Grievance Redressal Committee के निर्णयों के विरूद्ध छात्रों द्वारा की जाने वाली अपीलों को सुनने/निर्णय लिये जाने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा Ombudsperson के रूप में डॉ0 दीपक मालवीय, प्रोफेसर (से0नि0), एनेस्थिसियोलॉजी/पूर्व निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की नियुक्ति तथा Ombudsperson हेतु sitting fee रू0 5000/– प्रति sitting निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 12–9 **विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु सं0 11–21 में गैर शैक्षणिक कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन विषयक प्रकरण में लिए गये निर्णय के अनुपालन में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**	**कृत कार्यवाहीः–** कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निवारण के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में गैर शैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति किये जाने से पूर्व लेन्थ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश सं0 4999/यूपीयूएमएस/अधि0–07(1976–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 05.02.2024 व संशोधित कार्यालय आदेश सं0 5011/यूपीयूएमएस/अधि0–07(1976–सी0डी0)/ 2023–24 दिनांक 06.02.2024 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गयेः– 1. कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के क्रम में लेन्थ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त समिति यह संस्तुति करती है कि जो पदधारक कार्य परिषद की तिथि को जिस वेतनमान/लेवल में कार्यरत था, उसी वेतनमान/लेवल के सादृश्य नवीन कैडर में उपलब्ध पदों पर कार्य परिषद की तिथि से पदस्थापित किया जाये। लेवल के सादृश्य पद उपलब्ध न होने की दशा में वर्तमान पद पर ही पदस्थापित किया जायेगा। 2. लेंथ आफ सर्विस की गणना शासनादेश सं0 1421/71–2–16–आर0एम0–18/ 2014 दिनांक 19.05.2016 के पूर्व से नहीं की जायेगी। 3. न्यू कैडर संरचना में पदस्थापन को प्रोन्नति नहीं माना जायेगा। 4. एम0ए0सी0पी0/पदोन्नति की तिथि से लेंथ ऑफ सर्विस की गणना करते हुए उच्च पद हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित करते हुए

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 [illegible] सिंह
कुलपति

डी0पी0सी0 की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी। उच्चतर पद की अर्हता हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण न करने वाले पदधारकों को निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर ही पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

5. कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में लेंथ ऑफ सर्विस का बेनिफिट केवल एक बार ही अनुमन्य किया जायेगा अर्थात् पदस्थापन के पश्चात् उच्चतर पद हेतु निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।
6. विश्वविद्यालय में सृजित समान पद हेतु समान वेतन की अवधारणा का पालन किया जायेगा।
7. मानकीकरण शासनादेश में उल्लिखित प्रवेशित स्तर की शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने वाले पदधारकों को पदोन्नति का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। अपितु शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने पर ही उनकी पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।
8. पदस्थापन के उपरान्त ऐसे पदधारक जो पूर्व की पदोन्नति/एम0ए0सी0पी0 की तिथि से लेंथ ऑफ सर्विस की गणना करते हुए उच्च पद की अर्हता पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में पदोन्नति/एम0ए0सी0पी0 की तिथि से लेंथ ऑफ सर्विस की गणना करते हुए अर्हता पूर्ण करने पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी।
9. विश्वविद्यालय में जो पद नवीन कैडर संरचना विषयक शासनादेश दिनांक 24.02.2023 में विद्यमान नही हैं, उन पदों पर पदस्थापन/संविलन नहीं किया जाएगा। पदस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही पहली व अंतिम बार की जा रही है। इसके उपरान्त पदस्थापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
10. समिति द्वारा लेंथ ऑफ सर्विस की गणना के सम्बन्ध में लिए गये उपरोक्त निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय में एन0एम0सी0 मानक के अनुसार लागू किये गये कैडर संरचना के अनुसार कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन एवं पदोन्नति का विवरण निम्नवत् हैः–

कैडर एवं पदस्थापन कार्यालय आदेशों का विवरणः–

क. सं.	संवर्ग का नाम	कैडर एवं पदस्थापन कार्यालय आदेशों का विवरण
1.	कम्प्यूटर संवर्ग	सं0 3455/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1377–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 29.11.2023
		सं0 5191/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1377–सी0डी0)/कम्प्यू0कैडर/2023–24 दिनांक 15.02.2024
2.	इंजीनियरिंग संवर्ग	सं0 3457/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1378–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 29.11.2023
3.	वित्त एवं लेखा संवर्ग	सं0 3961/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1382–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 22.12.2023
		सं0 5183/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1382–सी0डी0)/वि0एवं0ले0कैडर/2023–24 दिनांक 15.02.2024
4.	प्रशासन संवर्ग	सं0 3960/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1381–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 22.12.2023
		सं0 5186/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1381–सी0डी0)/कैडर/2023–24 दिनांक 15.02.2024
5.	सामग्री प्रबंधन संवर्ग	सं0 3456/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1376–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 29.11.2023
6.	पब्लिक रिलेशन संवर्ग	सं0 3458/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1377–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 29.11.2023
7.	सेकेट्रियल संवर्ग	सं0 4245/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1380–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 28.12.2023
		सं0 5192/यूपीयूएमएस/अधि0–05(1380–सी0डी0)/सेके0कैडर/2023–24 दिनांक 15.02.2024
8.	वाहन चालक संवर्ग	सं0 3224/यूपीयूएमएस/अधि0–05(584–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 15.11.2023
9.	डायटीशियन संवर्ग	सं0 3495/यूपीयूएमएस/अधि0–7(1441–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 02.12.2023
10.	परफ्यूजनिस्ट संवर्ग	सं0 3515/यूपीयूएमएस/अधि0–7(1455–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 05.12.2023
11.	मेडिकल रिकार्ड संवर्ग	सं0 3946/यूपीयूएमएस/अधि0–7(1459–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 21.12.2023 सं0 5093/यूपीयूएमएस/अधि0–7(1985–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 10.02.2024
12.	आप्थलमोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 4604/यूपीयूएमएस/अधि0–7(1851–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 15.01.2024

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

13.	रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 3943 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1511–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 सं0 5176 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2012–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 15.02.2024 सं0 5178 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2012–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
14.	रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 3944 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1461–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 21.12.2023
15.	ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 4680 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1863–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 19.01.2024 सं0 5134 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2009–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 13.02.2024 सं0 1660 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1863–सी0डी0) / 2024–25 दिनांक 19.08.2024
16.	लैब टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 4626 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1447–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 16.01.2024 सं0 5097 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1987–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024 सं0 5139 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1987–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 13.02.2024
17.	सेन्ट्रल वर्कशाप 1 संवर्ग	सं0 4938 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1928–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 03.02.2024 सं0 5464 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1928–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 02.03.2024 सं0 235 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1928–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 19.04.2024
18.	सेन्ट्रल लाइब्रेरी संवर्ग	सं0 5456 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1795–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 01.03.2024 सं0 2452 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1795–सी0डी0) / 2024–25 दिनांक 22.10.2024
19.	टेक्नीशियन (डायलिसिस) संवर्ग	सं0 3513 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1449–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 05.12.2023 सं0 5413 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2040–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024 सं0 5887 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2040–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 26.03.2024
20.	सैनिटेशन संवर्ग	सं0 3947 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1586–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 सं0 5404 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1586–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
21.	सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 4184 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1664–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 26.12.2023 सं0 5411 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2053–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
22.	फिजियोथिरेपिस्ट संवर्ग	सं0 3501 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1450–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 02.12.2023
23.	डेन्टल टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 3945 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1663–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 सं0 1371 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1663–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.07.2024
24.	ई0एन0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5403 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1867–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
25.	हास्पिटल संवर्ग	सं0 5633 / यूपीयूएमएस / अधि0–08(1452–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 19.03.2023 सं0 3496 / यूपीयूएमएस / अधि0–08(1452–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 02.12.2023
26.	मेडिकल सोशल वर्कर संवर्ग	सं0 4217 / यूपीयूएमएस / अधि0–हास्पि0(1368–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 27.12.2023
27.	फार्मासिस्ट संवर्ग	सं0 3516 / यूपीयूएमएस / अधि0–हास्पि0(1368–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 05.12.2023
		सं0 5408 / यूपीयूएमएस / अधि0–हास्पि0(1368–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
28.	नर्सिंग संवर्ग	सं0 3454 / यूपीयूएमएस / अधि0–06बी(1367–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.11.2023
		सं0 5552 / यूपीयूएमएस / अधि0–6बी(1367–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 12.03.2024

पदोन्नति कार्यालय आदेशों का विवरणः–

क्र.	संवर्ग का नाम	पदोन्नति कार्यालय आदेशों का विवरण
1.	सामग्री प्रबंधन संवर्ग	सं0 5416 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1376–सी0डी0) / सा0प्रबंधनकैडर / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
		सं0 5417 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1376–सी0डी0) / सा0प्रबंधनकैडर / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
		सं0 5547 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1376–सी0डी0) / सा0प्रबंधनकैडर / 2023–24 दिनांक 12.03.2024
2.	प्रशासन संवर्ग	सं0 5181 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1381–सी0डी0) / प्रषा0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 5184 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1381–सी0डी0) / प्रषा0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 5185 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1381–सी0डी0) / प्रषा0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 5548 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1381–सी0डी0) / प्रषा0कैडर / 2023–24 दिनांक 12.03.2024
		सं0 1667 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(73) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1668 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(171) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1671 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(335) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1672 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(78) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1673 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(71) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1674 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(130) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1675 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(77) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1676 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(54) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1677 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(31) / 2024–25 दिनांक 20.08.2024
		सं0 1683 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(19) / 2024–25 दिनांक 21.08.2024
3.	कम्प्यूटर संवर्ग	सं0 5189 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1377–सी0डी0) / कम्प्यू0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 2514 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(60) / 2024–25 दिनांक 25.10.2024
4.	वित्त एवं लेखा संवर्ग	सं0 5187 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1382–सी0डी0) / वि0एवंले0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 5188 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1382–सी0डी0) / वि0एवंले0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 1783 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1382–सी0डी0) / वि0एवंले0कैडर / 2024–25 दिनांक 29.08.2024
		सं0 1784 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1382–सी0डी0) / वि0एवंले0कैडर / 2024–25 दिनांक 29.08.2024
		सं0 1785 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1382–सी0डी0) / वि0एवंले0कैडर / 2024–25 दिनांक 29.08.2024
5.	इंजीनियरिंग संवर्ग	सं0 5190 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1378–सी0डी0) / इंजी0कैडर / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
		सं0 5418 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1378–सी0डी0) / इंजी0कैडर / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
		सं0 5419 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(1378–सी0डी0) / इंजी0कैडर / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
6.	रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5177 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2012–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 15.02.2024 सं0 5179 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2012–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
7.	रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5410 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2054–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
8.	परफ्यूजनिस्ट संवर्ग	सं0 5092 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1986–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024
9.	सेन्ट्रल वर्कशाप 1 संवर्ग	सं0 5409 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2029–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
10.	आप्थलमोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5182 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2021–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 15.02.2024
11.	डायटीशियन संवर्ग	सं0 5091 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1984–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024
12.	लैब टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5096 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1987–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024 सं0 5095 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1987–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024 सं0 2566 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1987–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 25.10.2024 सं0 2565 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1987–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.10.2024
13.	मेडिकल रिकार्ड संवर्ग	सं0 5094 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1985–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

14.	सी0एस0एस0डी0 टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5412 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2053–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024 सं0 2564 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2053–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.10.2024
15.	टेक्नीशियन (डायलिसिस) संवर्ग	सं0 5414 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2040–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024 सं0 5415 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2040–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
16.	ओ0टी0 टेक्नीशियन संवर्ग	सं0 5133 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2009–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 13.02.2024 सं0 5135 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(2009–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 13.02.2024 सं0 1421 / यूपीयूएमएस / अधि0–7(1863–सी0डी0) / 2024–25 दिनांक 31.07.2024 द्वारा टेक्नीषियन (एनेस्थिसिया / कैथ लैब / सीवीटीएस) पद पर कार्यरत 16 कार्मिकों की पदोन्नति निरस्त
17.	हास्पिटल संवर्ग	सं0 1793 / यूपीयूएमएस / अधि0–08(120) / 2024–25 दिनांक 29.08.2024
		सं0 4719 / यूपीयूएमएस / अधि0–08(1302–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 23.01.2024
		सं0 5686 / यूपीयूएमएस / अधि0–08(1302–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 20.03.2024
18.	फार्मासिस्ट संवर्ग	सं0 5407 / यूपीयूएमएस / अधि0–हास्पि0 / (1368–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 29.02.2024
19.	मेडिकल सोशल संवर्ग	सं0 5090 / यूपीयूएमएस / अधि0–हास्पि0 / (1369–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 10.02.2024
20.	नर्सिंग संवर्ग	सं0 4776 / अधि0–6ए / यूपीयूएमएस / (178) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
		सं0 4775 / अधि0–6ए / यूपीयूएमएस / (178) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
		सं0 4774 / अधि0–6ए / यूपीयूएमएस / (178) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
		सं0 4778 / अधि0–6ए / यूपीयूएमएस / (178) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
		सं0 4779 / यूपीयूएमएस / अधि0–6ए.बी.सी. / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
		सं0 5551 / यूपीयूएमएस / अधि0–6बी(1367–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 12.03.2024
		सं0 18 / यूपीयूएमएस / अधि0–6बी(1367–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 04.04.2024

उक्त के अतिरिक्त गत कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.09.2023 से अब तक विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य की गयी एम0ए0सी0पी0 का विवरण निम्नवत् है:–

क्र.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	प्रोन्नयन कार्यालय आदेषों का विवरण
1.	श्री संजय कुमार, लेखाधिकारी	सं0 1949 / यूपीयूएमएस / अधि0–05 / 2024–25 दिनांक 07.09.2024
2.	श्री राजकुमार सचवानी, कार्यालय अधीक्षक	सं0 3097 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(332) / MACPs / 2023–24 दिनांक 06.11.2023
3.	श्री राकेष कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी	सं0 4576 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(07) / 2023–24 दिनांक 13.11. 2024
4.	श्रीमती बरखा सक्सेना, सहायक लेखाधिकारी	
5.	श्री अनुराग सक्सेना, सहायक लेखाधिकारी	
6.	श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव, कनिष्ठ लेखाधिकारी	सं0 3511 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(07) / 2023–24 दिनांक 04.11. 2023
7.	श्री प्रफुल्ल सक्सेना, कनिष्ठ लेखाधिकारी	
8.	श्री अभिषेक कुमार यादव, कनिष्ठ लेखाधिकारी	
9.	श्री उमेष कुमार यादव, कनिष्ठ लेखाधिकारी	
10.	श्री राजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाधिकारी	
11.	श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास, कनिष्ठ लेखाधिकारी	
12.	श्री रंजन कुमार वर्मा, कनिष्ठ लेखाधिकारी	
13.	सुश्री रंजना, कनिष्ठ लेखाधिकारी	सं0 1883 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(71) / 2024–25 दिनांक 03.09.2024
14.	श्री खालिद रईस, डाटा इन्ट्री आपरेटर ग्रेड–1	सं0 1881 / यूपीयूएमएस / अधि0–05(31) / ड[illegible]2024–25 दिनांक 03.09.2024
15.	श्रीमती नीतू यादव, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	सं0 1884 / यूपीयूएमएस / अधि0–07(274) / 2024–25 दिनांक 03.09.2024
16.	श्री मजहर तहसीन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	
17.	श्री नीरज कुमार, सी0एस0एस0डी0 सुपरवाइजर	सं0 4770 / यूपीयूएमएस / अधि0–07(126) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
18.	श्री सुलेख चन्द्र, हेल्थ इन्स्पेक्टर	सं0 4772 / यूपीयूएमएस / अधि0–07(1964–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
19.	श्री बिमलेष कुमार, वरि0 ऑप्टोमेट्रिस्ट	सं0 4771 / यूपीयूएमएस / अधि0–07(573–सी0डी0) / 2023–24 दिनांक 25.01.2024
20.	27 नर्सिंग आफिसर	सं0 4759 / अधि0–06बी / यूपीयूएमएस / (77) / 2023–24 दिनांक 24.01.2024
21.	04 सीनियर नर्सिंग आफिसर	सं0 4760 / अधि0–06ए / यूपीयूएमएस / (178) / 2023–24 दिनांक 24.01.2024
22.	03 उप नर्सिंग अधीक्षिका	सं0 1524 / अधि0–06ए / यूपीयूएमएस / (178) / 2023–24 दिनांक 03.08.2023
23.	श्री विनोद कुमार, चीफ फार्मासिस्ट	सं0 1525 / अधि0–।। / यूपीयूएमएस / (68) / 2023–24 दिनांक 05.08.2023

प्रस्ताव: मानकीकरण शासनादेश सं0 110 / 2022 / 96 / 71–2099 / 753 / 2021 दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के क्रम में उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 शासनादेश सं0 71–4099 / 1051 / 2022 –। / 280291 / 2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा सृजित पदों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 व कार्यालय आदेश सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – मानकीकरण शासनादेश सं0 110 / 2022 / 96 / 71–2099 / 753 / 2021 दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के क्रम में उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 शासनादेश सं0 71–4099 / 1051 / 2022 –। / 280291 / 2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा सृजित पदों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 व कार्यालय आदेश सं0 5011 दिनांक 06.02.2024 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–10</u>

वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना

<u>प्रस्तावना</u>: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैः–

3.1 वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>– वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांकः 17.08.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

3.2 वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 17.08.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>– वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांकः 17.08.2023 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या से वित्त समिति अवगत हुई।

3.3 विश्वविद्यालय के तुलन–पत्र (Balance Sheet) अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>– वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2022–23 के तुलन–पत्र (Balance Sheet) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3.4 मेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त अनुदान तथा अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय तथा मेडिकल कालेज की आय व उसके सापेक्ष किये गये व्यय विवरण के सम्बन्ध में।

<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>– वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन से प्राप्त अनुदान एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय तथा मेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्राविधान से भी समिति अवगत हुई।

3.5 पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त अनुदान तथा अनुदान के सापेक्ष किये गये व्यय तथा मेडिकल कालेज की आय व उसके सापेक्ष किये गये व्यय विवरण के सम्बन्ध में।

<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>– वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन से प्राप्त अनुदान एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय तथा पैरामेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्राविधान से भी समिति अवगत हुई।

3.6 विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज, चिकित्सालय तथा पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय परिसर में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कार्यो/सेवाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के सम्बन्ध में।

(क) वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में कराये जा रहे कार्यो/सेवाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के अवलोकन किये जाने के सम्बन्ध में।

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 में गैर वेतन/अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

<u>वित्त समिति का निर्णय</u> :– वित्त समिति द्वारा उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज, चिकित्सालय एवं पैरामेडिकल परिसर में वर्तमान में एजेण्डा बिन्दु–3.6 (क) में वर्णित विभिन्न कार्यो/सेवाओं के अनुरक्षण/संचालन का अवलोकन किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में गैर वेतन/अनुरक्षण मद के अन्तर्गत एजेण्डा बिन्दु–3.6 (ख) में धनराशि रू0 298.82 लाख के कराये जाने वाले कार्यो/विभिन्न सेवाओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3.7 विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।

<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>– वित्त समिति द्वारा उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्यों पर कुल धनराशि रू0 306.78 लाख के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	आय / बचत से कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	3.8 अन्य बिन्दु – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। **वित्त समिति की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में संयुक्त निदेशक (सा0प्र0) द्वारा मा0 कुलपति/अध्यक्ष, वित्त समिति की अनुमति से निम्नलिखित टेबिल एजेण्डा प्रस्तुत किये गये–** **(1) Cochlear Implant प्रोग्राम के तहत विभिन्न उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में** **(2) कोविड महामारी के दौरान कय किये गये वेन्टीलेटर कुल 12 नग का भुगतान विश्वविद्यालय की आय/बचत से किये जाने के सम्बन्ध में** **(3) एच0 एम0 आई0 एस0 के संचालन हेतु आवश्यक कम्प्यूटर, मानीटर, प्रिंटर एवं सम्बन्धित सामग्री के व्ययभार को विश्वविद्यालय की आय/बचत से किये जाने के सम्बन्ध में।**
	<u>वित्त समिति का निर्णय</u> :– **<u>एजेण्डा बिन्दु 3.8(1)</u>**:– वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांकः 17–08–2023 में Cochlear Implant प्रोग्राम के तहत विभिन्न उपकरणों की अनुमोदित सूची को पूर्व में अनुमोदित धनराशि रू0 204.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत रिवाईज सूची को वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **<u>एजेण्डा बिन्दु 3.8(2)</u>**:– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त 12 नग वेटीलेंटर के क्रय के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 19,96,512.00 के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से शासन को अवगत कराते हुए इस प्रत्याशा में विश्वविद्यालय की आय/बचत से भुगतान कर दिया जाये कि "यदि शासन द्वारा उक्त क्रय के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, तो उक्त धनराशि को विश्वविद्यालय की आय/बचत में समायोजित कर लिया जायेगा"। **<u>एजेण्डा बिन्दु 3.8(3)</u>**:– डम्ब टर्मिनल डेस्कटॉप–202, मॉनीटर–202, प्रिंटर–202 तथा माउस एवं कीबोर्ड (25 नग प्रत्येक) के क्रय हेतु धनराशि रू0 150.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय की आय/बचत से किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के क्रय हेतु शासन से धनराशि उपलब्ध कराये जाने की दशा में उक्त धनराशि को विश्वविद्यालय की आय/बचत में समायोजित कर लिया जायेगा।
	विश्वविद्यालय की वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। <u>**प्रस्तावः**</u> वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 में एजेण्डा बिंदु–3.1 से 3.8 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 में एजेण्डा बिंदु–3.1 से 3.8 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–11</u> **विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।**	**<u>प्रस्तावना</u>**: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैं:–

एजेण्डा बिन्दु 6–(1)	**विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।** **प्रस्ताव** – उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 का कार्यवृत्त विद्या परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विद्या परिषद द्वारा उक्त का

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	संज्ञान लेते हुए विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	
	एजेण्डा बिन्दु 6–(2)	**विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** **प्रस्ताव** – विद्या परिषद उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।
	निर्णयः– विद्या परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 08.08.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।	
	एजेण्डा बिन्दु	चिकित्सा संकाय
	6–(3.1)	**Approval for Medical Physics Resident (MPR) (Two seats) -On job Training (one year) and approval of the Information Brochure for MPR in the Department of Radiation Oncology against the vacant post of Junior Residents.** **Proposal**: It is proposed to approve Medical Physics Resident (MPR) (Two Seats)-On job Training (one year) in the Department of Radiation Oncology to advance patient care. • Approval of the Information Brochure for MPR.
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा रेडिएशन ऑंकोलॉजी विभाग के अन्तर्गत जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पद के सापेक्ष मेडिकल फिजिक्स रेजिडेंट (एमपीआर) (दो सीटें)–ऑन जॉब ट्रेनिंग (एक वर्ष) तथा मेडिकल फिजिक्स रेजिडेंट (एमपीआर) के लिए Information Brochure पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	6–(3.2)	**To obtain approval on the guidelines framed for starting Post Doctoral Certificate Course (PDCC) in various disciplines under the University.** **Proposal**: The Academic Council is expected to approve the guidelines framed for starting Post Doctoral Certificate Course (PDCC) in various disciplines under the University.
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा विशिष्टताओं/विषयों में पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स (पी0डी0सी0सी0) प्रारम्भ करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	6–(3.3)	**मेडिसिन विभाग में डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम के प्रत्यायन के पश्चात कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बंध में।** **प्रस्तावः** 1. मेडिसिन विभाग में तीन साल की अवधि की डी0एन0बी0 (जनरल मेडिसिन) में पी0जी0 कोर्स शुरू करने के लिए प्रत्यायन पश्चात आवश्यक कार्यावाही हेतु अनुमोदन किया जायें। 2. उपरोक्त कोर्स के मान्यता से सम्बन्धित व्यय के वहन हेतु वित्त विभाग को निर्देशित किया जाए। 3. पी0जी0 रेजीडेन्ट के स्टाइपेन्ड के लिये व्यय राशि के लिये वित्त विभाग को निर्देशित किया जाए। 4. उपरोक्त पी0जी0 रेजीडेन्ट के निवास की व्यवस्था के लिये सम्बन्धित को निर्देशित किया जाए। 5. पी0जी0 रेजीडेन्ट के ट्यूशन फीस एवं परीक्षा फीस को नियमानुसार निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाए।
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के जनरल मेडिसिन विभाग में तीन साल की अवधि की डी0एन0बी0 (जनरल मेडिसिन) में पी0जी0 कोर्स प्रारम्भ करने के लिए प्रत्यायन के संबंध में कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	6–(3.4)	**Proposal to start Post Doctoral Certificate Course**

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	(PDCC) in Arthroplasty, Department of Orthopaedics, UPUMS, Saifai, Etawah. **Proposal:** In view of the approval accorded by the Review Committee of the University, the Academic Council is expected to approve the Proposal to start Post Doctoral Certificate Course (PDCC) in Arthroplasty, Department of Orthopaedics, UPUMS, Saifai, Etawah.
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के आर्थोपेडिक्स विभाग में Post Doctoral Certificate Course (PDCC) in Arthroplasty प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेण्डा बिन्दु	पैरामेडिकल विज्ञान संकाय
6—(4.1)	**पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल तैयार किए जाने के सम्बन्ध में (Examiner Panel for Bachelor & Master Degree courses)** **प्रस्तावः** बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित परीक्षकों के पैनल विद्या परिषद से अनुमोदन हेतु संलग्न है, जिसका विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही समस्त संकायों के परीक्षक पैनल को अनुमोदित करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
6—(4.2)	**Apprising of M.Sc. MLT Syllabus in Semester System in Board of Studies which is already approved by Review Committee** **प्रस्तावः** Review Committee व बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में अनुमोदित MSc. MLT (Microbiology) के सेमेस्टर सिस्टम के Syllabus को विद्या परिषद के छठवीं बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की Review Committee व बोर्ड ऑफ स्टडीज (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) की बैठक में अनुमोदित MSc. MLT (Microbiology) के सेमेस्टर सिस्टम के Syllabus को अवलोकित किया गया। विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त पर कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
6—(4.3)	**Approval of Course Outcome, Program Outcome, Program Specific Outcome for various Degree & PG Courses of FPS** **प्रस्तावः** बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित Course Outcomes, Program Outcomes & Program Specific Outcomes को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में संचालित विभिन्न स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु तैयार किये गये Course Outcome, Program Outcome, Program Specific Outcome पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6—(4.4)	**Regarding Approval of Internship Policy & Attendance Policy.** **प्रस्तावः** उक्त Internship Policy एवं Attendance Policy को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु तैयार की गई Attendance Policy तथा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु Internship Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6—(4.5)	**Approval of Policy for Dissertation Project in various**

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	PG Courses of FPS. **<u>प्रस्ताव</u>:** बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित Dissertation Project की नियमावली को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु तैयार की गई Dissertation Project नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6–(4.6)	**Stipend Policy for UG & PG Courses** **<u>प्रस्ताव</u>:** बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित NIOH Kolkata, SV NIRTAR Cuttak के समान पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में अध्ययनरत स्नातक एवं परास्नातक छात्र/छात्राओं को Stipend प्रदान करने हेतु विद्या परिषद से अनुमोदन अपेक्षित है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पैरामेडिकल के Intern & PG छात्र/छात्राओं की भांति विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के Intern & PG छात्र/छात्राओं को स्टाइपेंड प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
6–(4.7)	**Policy for Faculty & Student Exchange Program** **<u>प्रस्ताव</u>:** पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विभिन्न विभागों में नवीन पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता हेतु Faculty एवं Students Exchange के तहत भारत व विदेश के चयनित महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों से Mutual Agreement हेतु तैयार Policy पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के विभिन्न विभागों में नवीन पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता हेतु Faculty एवं Students Exchange के तहत भारत व विदेश के चयनित महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों से Mutual Agreement हेतु तैयार की गई Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6–(4.8)	**पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के रेडियोलॉजिकल एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी विभाग में संचालित डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन व डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों के बंद किए जाने के सम्बन्ध में।** **<u>प्रस्ताव</u>:** उक्त के दृष्टिगत रेडियोलॉजिकल एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी विभाग में संचालित डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन व डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रमों को बंद किए जाने का प्रस्ताव है।
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रेडियोलॉजिकल एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी विभाग में संचालित डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन व डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों को बंद किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेण्डा बिन्दु	**नर्सिंग संकाय**
6–(5.1)	**Approval of CO's and PO's of B.Sc. Nursing (Semester system)** **<u>Proposal:</u>** The Course Outcome and Program Outcome duly approved under Agenda No.-1 in the meeting of Board of Studies of Faculty of Nursing held on 16.10.2024, is being submitted for the approval of the Academic Council.
	निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा प्रकाशित करिकुलम के आधार पर तैयार किये गये Course Outcome एवं

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

Program Outcome पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(5.2) **Proposal for approval of Academic Calendar.**
<u>Proposal:</u> The Academic Council is expected to approve the Academic Calendar of B.Sc.-Nursing (2024-25) and GNM & ANM (2024-25).

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को बैठक में प्रस्तुत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

6–(5.3) **Proposal for approval of panel of examiner for B.Sc. (Nursing) Program.**
Proposal: The updated list of examiners for B.Sc. (Nursing) Program are presented to Academic Council for approval.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित बी0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु तैयार किये गये परीक्षक पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(5.4) **Proposal for approval for Internal Faculty Members to pursue M.Sc. Nursing at Faculty of Nursing (In-house), UPUMS, Saifai**
Proposal: The proposal for internal faculty members to pursue a M.Sc. in Nursing at the Faculty of Nursing, UPUMS, Saifai, is approved under Agenda No.-5 in the meeting of Board of Studies of Faculty of Nursing held on 16.10.2024. The Academic Council is expected to approve the proposal for internal employees to pursue the M.Sc. Nursing program at UPUMS, Saifai, as per SGPGI guidelines.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के डेमोंस्ट्रेटर्स तथा नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को नर्सिंग संकाय में संचालित होने वाले एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम करने हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उन पर अध्ययन अवकाश नियम एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्ययन अवकाश पॉलिसी लागू होगी।

6–(5.5) **Proposal for conduction of all the end semester examination by examination department of university.**
Proposal: To ensure uniformity and consistency in the examination and evaluation process for the Nursing program, it is proposed that all end-semester examinations be conducted by the Examination Department of the University.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संकायों के आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में एकसमान नियम लागू किये जायें।

एजेण्डा बिन्दु	फार्मेसी संकाय

6–(6.1) **Establishment of 04 Departments and HODs in Faculty of Pharmacy.**
Proposal: Departments and HODs proposed:-

S.	Departments	HODs
1.	Pharmaceutics	Prof. (Dr.) Kamla Pathak, Professor
2.	Pharmaceutical Chemistry	Dr. Praveen Kumar, Associate Professor
3.	Pharmacology	Dr. Yogesh Chand Yadav, Associate Professor
4.	Pharmacognosy	Dr. Prabodh Shukla, Assistant Professor (In case Associate Professor is selected, the person would be the HOD, subsequently.)

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से प्रारम्भ उक्त 04 एम0फार्म0 पाठ्यक्रमों से संबंधित विभागों (Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacology एवं Pharmacognosy) हेतु

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

विभागाध्यक्ष नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(6.2)	**Induction of PG programs in Faculty of Pharmacy, in the academic session 2024-25** **Proposal:** Approval of conduct of the curriculum of • M. Pharm (Pharmaceutics) • M. Pharm (Pharmaceutical Chemistry) • M. Pharm (Pharmacology) • M. Pharm (Pharmacognosy) programs in Faculty of Pharmacy, UPUMS, Saifai

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से उक्त एम0फार्म0 पाठ्यक्रमों **[M.Pharm. (Pharmaceutics), M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), M.Pharm. (Pharmacology)** एवं **M.Pharm. (Pharmacognosy)]** को पी0सी0आई0 रेग्यूलेशन्स के अनुसार संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(6.3)	**Admission policy for PG programs** **Proposal:** In addition to the PCI regulation (a, b, c) the candidates who have a valid GPAT score will be eligible.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से प्रारम्भ एम0फार्म0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में पी0सी0आई0 रेग्यूलेशनस **M. Pharmacy (Regulations, Examination Scheme and Syllabus for M. Pharmacy, 2014)** के अनुसार तैयार की गई **Admission Policy** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(6.4)	**Approval of External examiners for theory and Practical Examination for UG and PG Programs** **Proposal:** To approve the Panel of Examiners attached as Annexures.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु तैयार किये गये परीक्षक पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(6.5)	**Approval of minutes of meeting of BOS, Faculty of Pharmacy meeting held on 22 August, 2024.** **Proposal:** Approval of the minutes/ recommendations made by BOS, Faculty of Pharmacy in the meeting held on 22 Aug 2024.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 22.08.2024 के कार्यवृत्त/संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु	अन्य एजेण्डा
6–(7.1)	**विश्वविद्यालय में स्वयं (SWAYAM) पोर्टल के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।** **प्रस्तावः** कुलपति महोदय के निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय स्तर पर स्वयम पोर्टल के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर **SWAYAM** पोर्टल के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया **(SOP)** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6–(7.2)	**Approval for Integration of Value added course (VAC) at university level (IQAC-Criteria I)** **Proposal:** The Academic Council is expected to approve the finalized list of Value added course (VAC) at university level.

निर्णयः– **The Academic Council has approved the list of Value**

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

Added Courses (VAC) at the university level.	
6–(7.3)	**Approval for Integration of Interdisciplinary Courses at the University Level (IQAC-Criteria I)** **<u>Proposal:</u>** The Academic Council is expected to approve the finalized Interdisciplinary Courses.
निर्णयः– **The Acadmic Council has approved the Integration of Interdisciplinary Courses at the University Level.**	
6–(7.4)	**Approval for Integration of a Student Feedback System at the University Level (IQAC-Criteria I)** **<u>Proposal:</u>** The Academic Council is expected to approve the finalized Student Feedback System.
निर्णयः– **The Acadmic Council has approved the Integration of Stakeholder Feedback System at the University Level.**	
6–(7.5)	**Approval for Identification of Slow learner, Good Learner and Advance Learner and Teachers follow up Actions to the Learners (Students) at University Level (IQAC-Criteria II)** **<u>Proposal:</u>** The Academic Council is expected to approve the Assessment criteria prepared for Identification of Slow learner, Good Learner and Advance Learner and Teachers follow up Actions to the Learners (Students).
निर्णयः– **The Academic Council has approved the Assessment Criteria prepared for Identification of Slow learner, Good Learner and Advance Learner and Teachers follow up Actions to the Learners (Students).**	
6–(7.6)	**Approval for Mentor Mentee Program at University Level (IQAC-Criteria II)** **<u>Proposal:</u>** The Academic Council is expeted to approve the Student Mentoring Handbook developed pertaining to objectives of the Mentor-Mentee Program, along with the expected outcomes, mentor responsibilities, mentee proforma, and mentor-mentee report proforma.
निर्णयः– **The Academic Council has approved the Student Mentoring Handbook developed pertaining to objectives of the Mentor-Mentee Program, along with the expected outcomes, mentor responsibilities, mentee proforma, and mentor-mentee report proforma.**	
6–(7.7)	**Approval for Course Handouts, Lecture Plan, Lesson Plan at University Level (IQAC-Criteria II)** **<u>Proposal</u>**: The Academic Council is expected to approve the Course Handouts, Lecture Plan, Unit Plan, Lesson Plan.
निर्णयः– **The Academic Council has granted approval for Course Handouts, Lecture Plan, Unit Plan, Lesson Plan.**	
एजेण्डा बिन्दु	टेबल एजेण्डा
6–(8)	**To improve the research outcome of the University.** **PROPOSAL:** Despite of the facts that the University is providing Intramural, Extramural funding with facility of well-established central research laboratory and two dedicated scientist along with other technicians for support in research. Apart from that, University is also providing monthly Academic Allowance and yearly Learning Research allowances to the faculty members but despite of that there has been unsatisfactory outcome of the University in research area in comparison to the pioneer institutions.

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

Therefore, there is a need to thrust certain compulsory provisions over the faculty members which shall indulge them for improvement in field of the research.

One of the such provision is that every faculty member of the University are required to publish research paper/ publication/grant of the patent as per following criteria –

Designation	Requirement		
Professor and Professor (Jr Grade)	At least two original research articles as first author or corresponding author in refereed journals indexed in Pubmed, Scopus or Web of Science in every Academic Year.	OR	At least one patent as Principal Inventor (either published or granted)
Associate Professor and below	At least one original research article as first author or corresponding author in refereed journals indexed in Pubmed, Scopus or Web of Science in every Academic Year.	OR	At least one patent as Principal Inventor/ Co-inventor (either published or granted)

Failure to do so will be considered as unsatisfactory in ACR and henceforth the promotion and allowances (Academic Allowance and Learning Research Allowance) of such faculty members will be obstructed. This policy will be enforced with immediate effect.

निर्णयः— **The Academic Council decided that requirement of atleast one original research article as first/second/corresponding author in the authorship criteria and to include DOAJ, EMBASE and UGC CARE in the approved list of Indexing Platforms. ACR to be considered as Average in case of failure to achieve the above parameters. This decision will be effective from Academic Session 2025-26.**

विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 के कार्यवृत्त पर प्राप्त आपत्तियां/सुझावः—

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 का कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय के पत्र सं0 2701/यूपीयूएमएस/प्रशासन (464—सी0डी0)/2024—25 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया था। साथ ही सुझाव/आपत्ति, यदि कोई हो तो एक सप्ताह की अवधि में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

1. उक्त प्रेषित पत्र के क्रम में संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) द्वारा अपने पत्र सं0 2267/FPS/UPUMS/2024-25 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये सुझाव/आपत्ति एवं मा0 कुलपति महोदय द्वारा उक्त पर प्रकट की गई स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित विवरण निम्नवत् हैः—

बिन्दु	विद्या परिषद द्वारा लिया गया निर्णय	सुझाव/आपत्ति	मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकट की गई स्वीकृति/अस्वीकृति
एजेण्डा बिंदु 06—(4.2)	कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु सं0 06—(4.2) **Apprising of M.Sc. MLT Syllabus in Semester System in Board of Studies which is already**	उक्त एजेण्डा विद्या परिषद से सम्बन्धित है। अतः विद्या परिषद से ही अवलोकनार्थ प्रस्तुत	अस्वीकृत

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	approved by Review Committee पर अवलोकित करते हुए विद्या परिषद द्वारा उक्त पर कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।	था, जिस पर मा० कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया था। उक्त एजेण्डा बिन्दु को मा० कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाना है।	
एजेण्डा बिंदु 06–(4.6)	कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु सं0 06–(4.6) **Stipend Policy for UG & PG Courses** को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	उक्त एजेण्डा को मा० कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित करते हुए कार्य परिषद में भी प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे।	स्वीकृत

2. अवगत कराना है कि चिकित्सा संकाय के कतिपय संकाय सदस्यों द्वारा विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में टेबल एजेण्डा 6–(8) के संबंध में कतिपय संशोधन हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन्हें मा० कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है:–

एजेण्डा बिंदु	विद्या परिषद का निर्णय	विद्या परिषद के निर्णय को संशोधित करने हेतु प्राप्त सुझाव
6–(8)	**The Academic Council decided that requirement of atleast one original research article as first/second/corresponding author in the authorship criteria and to include DOAJ, EMBASE and UGC CARE in the approved list of Indexing Platforms. ACR to be considered as Average in case of failure to achieve the above parameters. This decision will be effective from Academic Session 2025-26.**	**The Academic Council decided that requirement of atleast one original research article/systematic review/meta analysis/ patent as first/second/corresponding author in authorship criteria in refereed journals indexed in Pubmed/Scopus/Web of Science/DOAJ/EMBASE/UGC Care in every Academic Year.** **Failure to do so will be considered as Average in ACR. But no implication on release of Academic or Learning Research Allowance.** **The decision will be effective from Academic Session 2025-26.**

प्रस्ताव: (1) विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एजेण्डा बिंदु 06–(4.2) "Apprising of M.Sc. MLT Syllabus in Semester System in Board of Studies which is already approved by Review Committeee", एजेण्डा बिंदु 06–(4.6) "Stipend Policy for UG & PG Courses" के संबंध में विद्या परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों सहित अन्य समस्त एजेण्डा बिंदुओं पर लिये गये निर्णयों पर मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

(2) विद्या परिषद द्वारा छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में टेबल एजेण्डा 6–(8) पर लिये गये निर्णय को उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने के संबंध में मा० कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	अपेक्षित है। **<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन</u>:** (1) विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एजेण्डा बिंदु 06–(4.2) "Apprising of M.Sc. MLT Syllabus in Semester System in Board of Studies which is already approved by Review Committeee" एवं एजेण्डा बिंदु 06–(4.6) "Stipend Policy for UG & PG Courses" के संबंध में विद्या परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों सहित अन्य समस्त एजेण्डा बिंदुओं पर लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान किया जाना, साथ ही विद्या परिषद द्वारा टेबल एजेण्डा 6–(8) पर लिये गये निर्णय को उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें। (2) विद्या परिषद द्वारा छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में टेबल एजेण्डा 6–(8) पर लिये गये निर्णय को उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में लिये गये निर्णयों के संबंध में एजेण्डा बिंदु 6–(3.1), 6–(4.6), 6–(4.7), 6–(5.4) एवं 6–(8) को छोड़कर अन्य समस्त बिंदुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा एजेण्डा बिंदु 6–(3.1), 6–(4.6), 6–(4.7), 6–(5.4) एवं 6–(8) पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये/अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

<u>एजेण्डा बिंदु 6–(3.1)</u>: मा0 कार्य परिषद द्वारा मेडिकल फिजिक्स रेजिडेंट (एमपीआर) (दो सीटें)–ऑन जॉब ट्रेनिंग (एक वर्ष) प्रारम्भ किये जाने के संबंध में उक्त पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि सर्वप्रथम एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों से उक्त ट्रेनिंग के संबंध में नियमों, शुल्क, अर्हता आदि की जानकारी प्राप्त कर ली जाये एवं तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

<u>एजेण्डा बिंदु 6–(4.6)</u>: पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के Intern & PG छात्र/छात्राओं को स्टाइपेंड प्रदान करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उक्त के संबंध में पुष्टि कर ली जाये एवं इसके बाद इस संबंध में पुनः प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

<u>एजेण्डा बिंदु 6–(4.7)</u>: मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में Student Exchange Policy के संबंध में Short Terms Training (Not more than 3 months) का पालन करते हुए विश्वविद्यालय की विद्यमान नीति के अन्तर्गत ही पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के छात्र/छात्राओं को आच्छादित किया जाये।

<u>एजेण्डा बिंदु 6–(5.4)</u>: मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि Inhouse M.Sc. के लिये प्रत्येक वर्ष पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कैडर में से केवल एक–एक कार्मिक को अनुमति प्रदान की जाये।

<u>एजेण्डा बिंदु 6–(8)</u>: मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 नित्यानंद श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी–सदस्य, कार्य परिषद के सुझाव को मानते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

Requirement of atleast one original research article/Systematic Review/Meta Analysis as first/second/corresponding author in authorship criteria in refreed journals indexed in pubmed/scopus/web of science/DOAJ/EMBASE/UGC care in every academic year.

OR

At least one patent as principal inventor/co-inventor either published or granted in every academic year.

Failure to do so will lead to discontinuation of Learning Resource Allownace for that financial year but no implication on ACR and Clinical Research Allownace.

These will come into force from academic year 2025-26.

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–12</u> **विश्वविद्यालय में कार्यरत मेडिकल व डेंटल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावना</u>:** विश्वविद्यालय में तैनात मेडिकल ऑफिसर व डेंटल ऑफिसर के जो पद मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टिट्यूट, सैफई हेतु सृजित किये गये थे, के नियुक्ति पत्र में अंकित है कि "The above post is non-teaching specialists sub cadre post under Central Health Services (CHS)/Central Government Health Services (CGHS) & the scale of pay of the above post is Rs. 8000-275-13500. Allowances will be granted as per rules of the CHS/CGHS non-teaching cadre. कालांतर में ऐसे कार्मिक उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई की स्थापना पर संस्थान में समायोजित किये गये तथा वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत हैं। उक्त सभी कार्मिकों को सी0जी0एच0एस0 पैटर्न पर पदोन्नति तथा अन्य सेवा लाभ अनुमन्य हैं। सी0जी0एच0एस0 द्वारा अधिवर्षता आयु 65 वर्ष की गई है, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत मेडिकल व डेंटल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने का प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **<u>पृष्ठभूमि</u>:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक ए.12034/1/ 2014–सीएचएस–वी दिनांक 31 मई, 2016 के द्वारा नान टीचिंग स्पेशलिस्ट तथा सीएचएस व सीएचएस की सामान्य ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष किये जाने की मा0 राष्ट्रपति महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उक्त अतिरिक्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 2720/71–3–10–एस–26/ 2010 दिनांक 08 नवम्बर, 2010 के माध्यम से उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (वर्तमान उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय) के चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति सी0एच0एस0/सी0जी0एच0एस0 में विद्यमान पैटर्न के आधार पर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग–2 के पत्र संख्या 3000/सेक–2–पांच–23–7(237) /2014 टीसी दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के द्वारा जारी अधिसूचना में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा वं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके बिन्दु सं0 01 में अंकित है कि प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के लेवल–1, लेवल–2, लेवल–3, व लेवल–4 तक के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाती है। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर व डेंटल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु के संबंध में अभी तक 60 वर्ष से बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत्एव, चिकित्सा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 3000/सेक–2–पांच–23–7(237) /2014 टीसी दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय मे कार्यरत मेडिकल ऑफिसर व डेंटल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना औचित्यपूर्ण है। **<u>प्रस्ताव</u>:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 प्रभात सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>पत्रांक ए.12034/1/ 2014–सीएचएस–वी दिनांक 31 मई, 2016 तथा चिकित्सा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 3000/सेक–2–पांच–23–7(237)/2014 टीसी दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के क्रम में विश्वविद्यालय मे कार्यरत मेडिकल ऑफिसर व डेंटल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने पर मा0 कार्य परिषद विचार करना चाहें।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय मे कार्यरत मेडिकल ऑफिसर व डेंटल ऑफिसर की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 12–13</u>
डा0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जूनियर ग्रेड), आर्थोपेडिक्स विभाग को दिनांक 01.07.2022 से वैयक्तिक पदोन्नति अनुमन्य किये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।</td><td><u>प्रस्तावना</u>: विश्वविद्यालय में दिनांक 09.10.2023 से 12.10.2023 एवं 17.10.2023 से 20.10.2023 तक प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों एवं उन पर एच0आर0 कमेटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में संकाय सदस्यों को प्रोन्नति प्रदान की गयी।
<u>पृष्ठभूमि</u>: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की प्रोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 09.10.2023 से 12.10.2023 एवं 17.10.2023 से 20. 10.2023 पर एच0आर0 कमेटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विभिन्न चिकित्सा शिक्षकों को न्यू कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अन्तर्गत वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान की गयी है। डा0 जसवीर सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 14.11.2023 स्क्रीनिंग समिति को प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा दिनांक 01.07.2021 से पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिस पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा डा0 जसवीर सिंह को प्रोफेसर (जूनियर ग्रेड) के पद पर दिनांक 02.07.2021 से पदोन्नति हेतु पात्र माना गया है जो कि नियमानुसार एस0जी0पी0जी0आई0 के नियमों के विपरीत है।
उल्लेखनीय है कि नियमानुसार अर्हता की तिथि प्रत्येक वर्ष की 30 जून निर्धारित है। डा0 जसवीर सिंह द्वारा यदि दिनांक 02.07. 2021 को अर्हता पूर्ण की जाती तो उन्हें पदोन्नति दिनांक 01.07.2022 से अनुमन्य होती, किन्तु उनके द्वारा आवश्यक शोध पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये तथा पदोन्नति दिनांक 01.07.2023 से प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्यावेदन देते समय प्रस्तुत किया गया है। अतः स्क्रीनिंग समिति तथा प्रोन्नति समिति को उक्त शोध पत्र के बारे में कोई सूचना नहीं थी। अतः प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर उन्हें दिनांक 01.07.2023 से प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी जिस पर एच0आर0 समिति से अनुमोदन भी प्राप्त है।
<u>नियम</u>: उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में एस0जी0पी0जी0आई0 के नियम लागू हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 में निहित व्यवस्था के क्रम में फैकल्टी की प्रोन्नति के सम्बन्ध में अर्हता की तिथि प्रत्येक वर्ष की 30 जून निर्धारित है। आवेदक को निर्धारित तिथि तक प्राप्त की गयी ट्रेनिंग, शोध पत्र स्क्रीनिंग समिति को प्रस्तुत करने होते हैं। तभी समिति पात्रता घोषित करती है। नियमानुसार यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी अर्हता के अनुरूप प्रोन्नति नहीं दी जाती है तो उसे त्रुटिपूर्ण दिनांक से प्रोन्नति के सम्बन्ध में योगदान आख्या नहीं देनी चाहिये। योगदान देने के उपरान्त समिति के अनुमोदित निर्णय पर प्रश्न चिन्ह</td></tr>
</table>

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 [illegible] सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>लगाना नियमसंगत नहीं है।

प्रस्ताव का आधारः डा0 जसवीर सिंह द्वारा दिनांक 01.07.2021 से पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु स्क्रीनिंग समिति को प्रत्यावेदन दिनांक 14.11.2023 को प्रस्तुत किया गया। यदि डा0 जसवीर सिंह द्वारा डी0पी0सी0 के समक्ष पदोन्नति से पूर्व शोध पत्र प्रस्तुत कर दिये जाते (जो कि उनके द्वारा नहीं प्रस्तुत किये गये) तो वे दिनांक 01.07. 2022 से पदोन्नति हेतु अर्ह हो जाते।

प्रस्ताव पर अपेक्षित निर्णयः डा0 जसवीर सिंह द्वारा दिनांक 01.07. 2021 से पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु स्क्रीनिंग समिति को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 14.11.2023 पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा डा0 जसवीर सिंह को प्रोफेसर (जूनियर ग्रेड) के पद पर दिनांक 02.07. 2021 से पदोन्नति हेतु पात्र माने जाने के दृष्टिगत डा0 जसवीर सिंह को दिनांक 01.07.2023 के स्थान पर दिनांक 01.07.2022 से वैयक्तिक पदोन्नति का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">**कार्य परिषद का निर्णय – डॉ0 जसवीर सिंह द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 14.11.2023 के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा Review DPC आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये।**</td>
</tr>
<tr>
<td>**एजेण्डा बिन्दु 12–14**
विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को 02 वर्षीय उच्च पाठ्यक्रम अध्ययन किये जाने हेतु छुट्टी वेतन (Leave Salary) के अन्तर्गत 02 वर्षीय अध्ययन अवकाश (Study Leave) का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबध में।</td>
<td>**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों को वर्तमान में उच्च अध्ययन हेतु 06 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा–48 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कार्मिकों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक) को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के अनुरूप सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें अनुमन्य हैं। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में M.Sc. Nursing हेतु दो वर्षीय अध्ययन अवकाश की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिकों को समान रूप से दो वर्षीय उच्च पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु छुट्टी वेतन (Leave Salary) के अन्तर्गत 02 वर्षीय अध्ययन अवकाश (Study Leave) का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

पृष्ठभूमिः वर्तमान में विश्वविद्यालय के कार्मिकों को उच्च पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु 06 माह का अध्ययन अवकाश तथा शेष अवधि हेतु अन्य अवकाश (अर्जित अवकाश/असाधारण अवकाश) स्वीकृत किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं फार्मेसी संकाय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं अन्य विभागों में उच्च शिक्षा प्रारम्भ होने व आवश्यकता के दृष्टिगत् शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिकों द्वारा अपनी दक्षता बढ़ाये जाने हेतु अध्ययन अवकाश लेकर उच्चतर पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया जा रहा है।

नियमः
1. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा–48 जिसमें प्राविधानित है कि "विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद)</td>
</tr>
</table>

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी"।

2. संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 PGI/RSD No.10776/13/CMS/Estt./2272/2024 दिनांक 01.08.2024 के क्रम SGPGIMS, Lucknow में दो वर्षीय Study Leave/अध्ययन अवकाश M.Sc. Nursing की लागू व्यवस्था।
3. अखिल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली AIIMS, New Delhi द्वारा जारी सर्कुलर सं0 F.58/UN(Pt.)/2016-Estt-(H) दिनांक 02.03.2017 में की गई व्यवस्था। उक्त सर्कुलर F.R. & S.R.–PART III-Leave Rules, Central Civil Service Leave Rule 1972 के Chapter VI-Study Leave में प्राविधानित दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।

<u>प्रस्ताव का आधार</u>: विश्वविद्यालय में मात्र 06 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था होने के कारण दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने में कठिनाई होती है।

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 PGI/RSD No.10776/13/CMS/Estt./2272/2024 दिनांक 01.08.2024 के क्रम SGPGIMS, Lucknow में दो वर्षीय अध्ययन अवकाश (Study Leave) M.Sc. Nursing अध्ययन किये जाने की लागू व्यवस्था तथा अखिल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली AIIMS, New Delhi द्वारा जारी सर्कुलर सं0 F.58/UN(Pt.)/ 2016-Estt-(H) दिनांक 02.03.2017 द्वारा उच्च अध्ययन नियम F.R. & S.R.–PART III-Leave Rules, Central Civil Service Leave Rule 1972 के Chapter VI में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लागू उच्च अध्ययन छुट्टी वेतन (Leave Salary) के साथ अध्ययन अवकाश (Study Leave) नियम लागू हैं। संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विद्यमान Study Leave अनुमन्य करने की व्यवस्था के क्रम में F.R. & S.R.–PART III-Leave Rules, Central Civil Service Leave Rule 1972 के Chapter VI में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिक जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्ति के साथ 05 वर्ष की सेवायें पूर्ण कर ली गयी हों, को 02 वर्षीय उच्च पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हुये उन्हें बॉण्ड भरे जाने के साथ दो वर्षीय उच्च पाठ्यक्रम छुट्टी वेतन (Leave Salary) के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश (Study Leave) का लाभ अनुमन्य किया जाने पर विचार किया जाना है।

<u>प्रस्ताव</u>: विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिक जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्ति के साथ 05 वर्ष की सेवायें पूर्ण कर ली गयी हों, को संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 PGI/RSD No.10776/13/CMS/ Estt./2272/2024 दिनांक 01.08.2024 एवं अखिल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी सर्कुलर सं0 F.58/UN(Pt.)/2016-Estt-(H) दिनांक 02.03.2017 तथा F.R. & S.R.–PART III-Leave Rules, Central Civil Service Leave Rule 1972 के Chapter VI में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार 02 वर्षीय उच्च पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

करते हुये बॉण्ड भरे जाने के साथ नियमानुसार छुट्‌टी वेतन (Leave Salary) के अन्तर्गत 02 वर्षीय अध्ययन अवकाश (Study Leave) का लाभ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिक जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्ति के साथ 05 वर्ष की सेवायें पूर्ण कर ली गयी हों, को 02 वर्षीय उच्च पाठ्‌यक्रम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हुये सर्विस बॉण्ड भरे जाने के साथ नियमानुसार छुट्‌टी वेतन (Leave Salary) के अन्तर्गत 02 वर्षीय अध्ययन अवकाश (Study Leave) का लाभ अनुमन्य किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि यह अनुमति केवल उच्च शिक्षा (डिग्री पाठ्‌यक्रमों) हेतु जो विश्वविद्यालय के लिये भी लाभप्रद हों, प्रदान की जाये। प्रत्येक वर्ष किसी संवर्ग विशेष से 05 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को Study Leave अनुमन्य नहीं होगी।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–15</u>

विश्वविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत आउटसोर्स के पदों को निविदा प्रकाशित करते हुए अर्ह फर्म के माध्यम से भरे जाने तथा विश्वविद्यालय में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों पर लागू Wages Structure जो उ0प्र0 सरकार के उप श्रमायुक्त द्वारा अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों हेतु निर्धारित हैं, को लागू किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावना: विश्वविद्यालय में एम0सी0आई0 / एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति एवं चिकित्सालय के सुगम संचालन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर–शैक्षणिक के आउटसोर्स के पदों को सृजित किया गया है जिन्हें उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से भरने की कार्यवाही की जानी है एवं विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों की भांति उक्त कार्मिकों को भी उ0प्र0 सरकार के उप श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दरों को लागू किया जाना है।

पृष्ठभूमि: अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय में एम0सी0आई0 / एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति एवं चिकित्सालय के सुगम संचालन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर–शैक्षणिक के आउटसोर्स के पदों को सृजित किया गया है जिनमें से वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने वाले आवश्यक पदों का प्रस्ताव निम्नवत् है: –

Sl. No.	Name of Department	Name of Post	Sanctioned Post
1	Community Medicine	Health Assistant	1
2		Health Educator	2
3		Health Inspector	3
4	Other Hospital & Academic	Record Keeper (For MBBS Departments)	25
5		Legal Advisor	1
6		TB & Chest Disease Health Visitor	2
7		Vocational Counsellor	1
8	Central Workshop	Workshop Assistant	10
9	Dietician	Diet Assistant	19
10	Pharmacist	Pharmacy Assistant	58
11	Physiotherapist	Physiotherapy Assistant	8
12	Central Library	Library Assistant	10
13	Central Workshp (1)	Workshop Assistant	10
14	Medical Record	Medical Record Assistant	19
15	Administration	Administrative Assistant	57
16	Computer	Data Entry Assistant	93
17	Office Attendant	Office Attendant	151
18	Vehicle	Driver	26

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व से आउटसोर्स कार्मिकों हेतु अर्द्धकुशल एवं कुशल पदधारकों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार Wages Structure लागू है। फिलहाल पूर्व लागू Wages Structure नव नियुक्त आउटसोर्स कार्मिकों पर लागू कराये जाने का प्रस्ताव है। यह Wages Structure समय–समय पर परिवर्तनीय होगा: –

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 [illegible] सिंह
कुलपति

1	Pay + VDA = 6325 + 5388 x 1.33	# 15578.29	
2	Pay + VDA = 6325 + 5388 x 1.70		# 22304
3	Bonus @ 8.33 of # or Max Rs 7000/- PA	583.33	0
4	Medical Insurance @ 3.25% of #	506.29	724.88
5	**SUB Total "A" (Without HRA)**	**16667.91**	**23028.88**
6	Service Charge @ 8.25% of "A"	1726.32	2333.27
7	**SUB Total "B"**	**18394.23**	**25362.15**
8	**GST@ 18% of Sub Total of "B"**	4357.66	5912.24
9	**Grand Total**	**22751.89**	**31274.39**

नियमः उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय में एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति एवं चिकित्सालय के सुगम संचालन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर–शैक्षणिक के आउटसोर्स के पदों को सृजित किया गया है उनमें से वर्तमान में आवश्यक पदों को निविदा प्रकाशित करते हुए अर्ह फर्म के माध्यम से भरे जाने तथा विश्वविद्यालय में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों पर लागू Wages Structure जो उ0प्र0 सरकार के उप श्रमायुक्त द्वारा अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों हेतु निर्धारित दरों को लागू किया जाना है।

प्रस्तावः शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय में एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति एवं चिकित्सालय के सुगम संचालन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर–शैक्षणिक के आउटसोर्स के पदों को सृजित किया गया है उनमें से वर्तमान में आवश्यक पदों को निविदा प्रकाशित करते हुए अर्ह फर्म के माध्यम से भरे जाने तथा विश्वविद्यालय में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों पर लागू Wages Structure जो उ0प्र0 सरकार के उप श्रमायुक्त द्वारा अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों हेतु निर्धारित दरों को लागू किया जाना है जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय में एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति एवं चिकित्सालय के सुगम संचालन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गैर–शैक्षणिक के आउटसोर्स के सृजित पदों में से आवश्यक पदों को निविदा प्रकाशित करते हुए अर्ह फर्म द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत Competitive Exam/SkillTest पास किये गये अभ्यर्थियों से भरे जाने तथा फर्म द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों पर लागू Wages Structure जो उ0प्र0 सरकार के उप श्रमायुक्त द्वारा अर्द्धकुशल एवं कुशल कार्मिकों हेतु निर्धारित हैं, वह लागू किये जाने जिसमें केवल Pay+VDA+Bonus सम्मिलित रहेगा तथा यह Wages Structure उ0प्र0 सरकार के उप श्रमायुक्त द्वारा समय–समय पर परिवर्तनीय होने पर तद्नुसार अनुमन्य किया जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी कार्मिक का वेतन उपरोक्तानुसार रू0 15,000/– प्रतिमाह से कम है तो नियमानुसार उसे ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 भी प्रदान किया जायेगा।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–16</u>

शासनादेश सं0 2281/71–2–15–एस0–45/2015 टी0सी0 दिनांक 08.10.2015 के द्वारा फार्मेसी संकाय हेतु सृजित प्रधानाचार्य (फार्मेसी) के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.10000/-, Level-14 को समर्पित

पृष्ठभूमिः अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत संचालित बी0 फार्मा0 पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश सं0 2281/71–2–15–एस0–45/2015 टी0सी0 दिनांक 08.10.2015 द्वारा प्रधानाचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद एवं शासनादेश सं0 4178/71–2–15– एस0–4/2008 टी0सी0 दिनांक 24.11.2015 द्वारा प्रोफेसर व लेक्चरर के पद सृजित थे। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा, को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 [illegible] सिंह
कुलपति

करते हुये उसके स्थान पर PCI द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, वेतनमान मानकों के अनुरूप प्रोफेसर (Professor), फार्मेसी के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.8900/-, Level-13A के रूप में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

अधिनियम–2015 द्वारा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनने के उपरान्त अधिनियम की धारा 25(1) के अनुसार विश्वविद्यालय में पॉच संकाय की व्यवस्था है, जिसमें से एक फार्मेसी संकाय भी है।

फार्मेसी संकाय बनने के उपरान्त संकाय में संकायाध्यक्ष होने के कारण प्रधानाचार्य (Principal) पद की आवश्यकता नहीं है। फार्मेसी संकाय के अन्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024–25 से 04 विशिष्टता प्रत्येक विशिष्टता में 06 सीट यथा M.Pharm. (Pharmaceutics), M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), M.Pharm. (Pharmacology), M.Pharm. (Pharmacognosy) से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत् प्रोफेसर के 01 पद की आवश्यकता है। पूर्व में सृजित प्रधानाचार्य (Principal) के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.10000/-, Level-14 को समर्पित करते हुये उसके स्थान पर प्रोफेसर (Professor), फार्मेसी के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.8900/-, Level-13A में परिवर्तित किया जाना है।

<u>प्रस्ताव का आधार</u>: विश्वविद्यालय बनने के उपरान्त उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा 25(4) के अनुसार प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा। संकायाध्यक्ष की व्यवस्था होने के कारण प्रधानाचार्य (Principal) पद की आवश्यकता नहीं है। प्रधानाचार्य पद को प्रोफेसर पद में परिवर्तित किया जाना है।

फार्मेसी संकाय में संचालित बी0फार्मा0 एवं शैक्षणिक सत्र 2024–25 से 04 विशिष्टता प्रत्येक विशिष्टता में 06 सीट यथा M.Pharm. (Pharmaceutics), M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), M.Pharm. (Pharmacology), M.Pharm. (Pharmacognosy) से एम0 फार्मा0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु पी0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप प्रोफेसर के 01 पद की आवश्यकता है। अतः शासनादेश द्वारा फार्मेसी में सृजित प्रधानाचार्य (Principal), फार्मेसी के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000, G.P.-Rs.10000/-, Level-14 को समर्पित करते हुये उसके स्थान पर PCI द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, वेतनमान मानकों के अनुरूप प्रोफेसर (Professor), फार्मेसी का 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.8900/-, Level-13A में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

S. No.	Name of Post	Age	Essential Qualification
1.	**Professor** (Rs.37400-67000) Gr.Pay-8900 (New Pay levels after implementation of 7th CPC **Level-13A, Rs.131100/-)**	55 years	First class B.Pharma with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy or Pharm.D (Qualification must be PCI recognized). With Ph.D degree in any of Pharmacy subjects (Ph.D Qualifications must be PCI recognized). **Essential** 10 years experience in teaching in PCI approved/ recognized Pharmacy College or research experience out of which 5 years must be as Associate Professor in PCI approved/recognized Pharmacy College.

<u>प्रस्ताव</u>: विश्वविद्यालय में फार्मेसी संकाय बनने के उपरान्त संकाय में संकायाध्यक्ष की व्यवस्था होने के कारण सृजित रिक्त प्रधानाचार्य (Principal) पद की आवश्यकता नहीं है। फार्मेसी संकाय में संचालित बी0फार्मा0 एवं शैक्षणिक सत्र 2024–25 से 04 विशिष्टता प्रत्येक

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

कुलपति

विशिष्टता में 06 सीट यथा M.Pharm. (Pharmaceutics), M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), M.Pharm. (Pharmacology), M.Pharm. (Pharmacognosy) से एम0 फार्मा0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु पी0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप प्रोफेसर के 01 पद की आवश्यकता के दृष्टिगत् पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत संचालित बी0 फार्मा0 पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश सं0 2281/71–2–15–एस0–45/2015टी0सी0 दिनांक 08.10.2015 द्वारा सृजित प्रधानाचार्य (Principal), फार्मेसी के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000, G.P.-Rs.10000/-, Level-14 को समर्पित करते हुये, उसके स्थान पर PCI द्वारा निर्धारित मानकों शैक्षिक अर्हता, वेतनमान आदि के अनुरूप प्रोफेसर (Professor), फार्मेसी का 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.8900/-, Level-13A में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्य परिषद का निर्णय – प्रधानाचार्य, फार्मेसी के 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000, G.P.-Rs.10000/-, Level-14 को समर्पित करने एवं उसके स्थान पर PCI द्वारा निर्धारित मानकों शैक्षिक अर्हता, वेतनमान आदि के अनुरूप प्रोफेसर, फार्मेसी का 01 पद वेतनमान Rs.37400-67000 G.P.-Rs.8900/-, Level-13A में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–17</u>

विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय में कार्यरत संकाय सदस्यों हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) द्वारा प्रेषित पत्रांक F.No.1-6/Misc./2024-INC Dt. 27-03-2024 एवं F.No.1-6/Misc./2024-INC (61347) Dt. 15-07-2024 पत्र के क्रम में नर्सिंग संकाय हेतु प्रोन्नति संरचना नीति बनाये जाने के संबंध में।

<u>पृष्ठभूमि</u>: उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई में वर्ष अगस्त 2012 में नर्सिंग कॉलेज में ANM, GNM एवं B.Sc. Nursing पाठ्यक्रम संचालित की गयी। उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश सं0 1778/71–2–12–एस0–4/2008टी0सी0 दिनांक 20, जून, 2012 एवं शासनादेश सं0 4178/71–2–15–एस0–4/2008टी0सी0 दिनांक 24, नवम्बर, 2015 द्वारा नर्सिंग संकाय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लेक्चरर एवं डिमॉन्स्ट्रेटर पदों का सृजन किया गया था।

भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) द्वारा प्रेषित पत्रांक F.No.1-6/Misc./2024-INC Dt. 27-03-2024 ,oa F.No.1-6/Misc./2024-INC (61347) Dt. 15-07-2024 पत्र के क्रम में नर्सिंग संकाय हेतु प्रोन्नति संरचना नीति निर्धारित किये जाने हेतु एजेण्डा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

<u>प्रस्ताव का आधार</u>: वर्तमान में नर्सिंग संकाय एवं भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) में संकाय सदस्यों की निम्नवत् संरचना है–

<u>EXISTING ORGANIZATIONAL STRUCTURE AT UPUMS, SAIFAI AND INC, DELHI:</u>

S. No.	Name of the post	Present position		Mode of recruitment	Pay scale in UPUMS Saifai	Qualification and experience as per latest UPUMS recruitment policy	Qualification and experience of structure/ cadre as per Indian Nursing Council (Letter No 1-6/MISC/2024-INC (61347) Dated 27.03.24 & 15.07.24)
		Sanctioned	Filled				
1	Principal cum Professor	-	-	NA	-	**Post is not existing in the University and not sanctioned.** (In the Faculty of Nursing at UPUMS, the post of Dean is held by the senior-most Professor, performing the role of Principal/ Dean).	Essential qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: M.Sc. Nursing having total 15 years' experience with M.Sc. Nursing out of which 10 years teaching experience after M.Sc. Nursing in collegiate program. -Ph.D. Nursing (Desirable)
2	Vice Principal cum Professor	-	-	NA	-	**Post is not existing in the University and not sanctioned.**	Essential qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: Total 12 years of experience with M.Sc. Nursing out of which 10 years teaching experience after M.Sc. Nursing. - Ph.D. Nursing (Desirable)
3.	Professor	2	2	Direct Recruitment	(131100-216600 + GP Rs. 8900/, Level-13A)	M.Sc. (Nursing) with total 10 years' experience, out of which 5 years teaching experience. - Ph.D. Nursing (Desirable)	Essential qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: M.Sc. Nursing total 12 years of experience with M.Sc. Nursing out of which 10 years teaching experience after MSc. Nursing. Ph.D. Nursing (Desirable)

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

4.	**Associate Professor**	1	1	Direct Recruitment	(78800-209200 + GP Rs.7600/, Level-12)	M.Sc. (Nursing) with total 7 years' experience, out of which 3 years teaching experience. - Ph.D. Nursing (Desirable)	Essential qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: Total 8 years' experience with M.Sc. Nursing including 5 years teaching experience. Ph.D. Nursing (Desirable)
5.	**Assistant Professor**	4	4	Direct Recruitment	(67700-208700 + GP Rs.6600/, Level-11)	M.Sc. (Nursing) with 5 years teaching experience. Ph.D. Nursing (Desirable)	Essential qualification: M.Sc. Nursing Experience: M.Sc. Nursing with total 3-year experience. Ph.D. Nursing (Desirable)
6.	**Lecturer**	4	4	Direct Recruitment	(56100-177500 + GP Rs.5400/, Level-10)	M.Sc. (Nursing) with 3 years teaching experience. Ph.D. Nursing (Desirable)	**Post does not exist in current INC Cadre.**
7.	**Demonstrator**	35	30	Direct Recruitment	(56100-177500 + GP Rs.5400/, Level-10)	M.Sc. (Nursing) or B.Sc. (Nursing)/ P.B. B.Sc. (Nursing) With 3 years teaching experience.	M.Sc. (Nursing) preferable B.Sc. (Nursing)/ P.B. B.Sc. (Nursing) with 1 year experience

विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय में सृजित पदों के केडर में भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) द्वारा जारी संरचना के अनुसार निम्नवत् भिन्नता है:–

क्र0 सं0	**वर्तमान सृजित पदों की संरचना में भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) के क्रम में भिन्नता**	**समस्या/भिन्नता के समाधान हेतु सुझाव**
1.	भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) द्वारा निर्दिष्ट पत्र में ट्यूटर पद है जबकि नर्सिंग संकाय में डिमॉन्स्ट्रेटर का पद स्वीकृत है तथा भरे गये हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर के लिये निर्धारित योग्यताएं और वेतनमान ट्यूटर पद के समान ही है।	भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) के अनुसार डिमॉन्स्ट्रेटर पद का नाम ट्यूटर पद में परिवर्तित किया जाना है।
2.	शासन द्वारा वर्तमान नर्सिंग संकाय हेतु वर्ष 2012 में लेक्चरर के 04 पद स्वीकृत किये गये थे। भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) की वर्तमान कैडर संरचना में लेक्चरर का पद नहीं है। इसके बजाय, आई0एन0सी0 के अनुसार समान योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं के साथ असिस्टेन्ट प्रोफेसर का पद है।	1. लेक्चरर के 04 पद को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद में Merge/विलय करते हुये समायोजित किया जाना है। 2. लेक्चरर पद एवं डिमॉन्स्ट्रेटर पद का वेतनमान रू0 56100–177500, ग्रेड वेतन रू05400/–, लेवल–10 है। अतः लेक्चर पद को असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद में विलय/मर्ज किये जाने उपरान्त वेतनमान रू0 67700–208700, ग्रेड वेतन रू0 6600/–, लेवल–11 में समायोजित किया जाना है।

नर्सिंग संकाय में वर्तमान सृजित पदों की संरचना में पदनाम परिवर्तन एवं विलय प्रकिया

1. सृजित डिमॉन्स्ट्रेटर पद का नाम आई0एन0सी0 कैडर के अनुसार नाम परिवर्तित कर ट्यूटर पदनाम कर दिया जाये। दोनों पदों के लिये योग्यता एवं अनुभव समान है (एम0एस0सी0 नर्सिंग या बी0एस0सी0 नर्सिंग/पी0पी0 बी0एस0सी0 नर्सिंग 01 वर्ष के शिक्षण के साथ अनुभव)। इससे नर्सिंग संकाय को आई0एन0सी0 सम्बद्धता प्रकिया में भी मदद मिलेगी। अतः पदनाम परिवर्तित किये जाने पर विश्वविद्यालय पर कोई व्यय भार नहीं आयेगा।
2. भारतीय उपचर्या परिषद् (INC) कैडर में लेक्चरर का पद नहीं होने के कारण आई0एन0सी0 मानक के अनुसार नर्सिंग संकाय में पूर्व में

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

सृजित लेक्चरर पद वेतनमान रू0 15600–39000 ग्रेड वेतन रू0 5400/– 7th CPC Rs. 56100-177500, Level-10 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद वेतनमान रू0 15600–39000 ग्रेड वेतन रू0 6600/– 7th CPC Rs. 67000-208700, Level-11 में Merge/विलय करते हुये समायोजित किया जाना है। भारतीय उपचर्या परिषद (INC) कैडर में दोनों पदों के लिए योग्यता और अनुभव समान है (एम0एस0सी0 नर्सिंग कुल 03 वर्ष के अनुभव के साथ।)

3. प्रत्येक पद के लिये समयबद्ध पदोन्नति आवश्यक है। पदोन्नति हेतु पद की उपलब्धता तक सीमित नहीं होनी चाहिये।

प्रस्तावः

FINAL PROPOSED PROMOTION POLICY IS AS FOLLOWS:

प्रस्तावः

FINAL PROPOSED PROMOTION POLICY IS AS FOLLOWS:

EXISTING STRUCTURE AT UPUMS						PROPOSED PROMOTION POLICY					
S. N.	Name of the Post	Mode of Recruit-ment	Sanctioned Post	Pay scale	Qualification and experience as per latest UPUMS recruitment policy	Name of the Post	Mode of Recruitment	Total post	Pay Scale	Desired Qualification and Experience for the proposed Promotion	REMARK as per Indian Nursing Council (Letter No 1-6/MISC/2024-INC (61347) Dated 27.03.24 & 15.07.24)
1.	Demonstrator	Direct	35	Rs.56100-177500 Level-10, GP Rs.5400/-	M.Sc. (Nursing) or B.Sc. (Nursing)/ P.B. B.Sc. (Nursing) With 3 years teaching experience.	Tutor	Direct	35	Rs.56100-177500 Level-10, GP Rs.5400/-	M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing/ P.B. B.Sc. Nursing with 1 year of teaching experience	The present post of Demonstrator be renamed as Tutor as per INC Cadre because the qualifications and experience for both posts are equal as per Indian Nursing Council (Letter No 1-6/MISC/2024-INC (61347) Dated 27.03.24 & 15.07.24)
2.	Lecturer	Direct	4	Rs.56100-177500 Level-10, GP Rs.5400/-	M.Sc. (Nursing) with 3 years teaching experience. Ph.D. Nursing (Desirable)	NA	NA	-	NA	NA	The present post (04) of Lecturer with Pay Scale 56100-177500 with Grade Pay 5400/- (Level 10) be abolished and merged with Assistant Professor, Pay Scale 67700- 208700 With Grade Pay 6600/- (Level 11) because, as per INC Cadre, the post of Lecturer no longer exists and the qualifications and experience for both positions are the same as per Indian Nursing Council
2.	Assistant Professor	Direct	4	Rs.67700-208700, Level-11, GP Rs.6600/-	M.Sc. (Nursing) with 5 years teaching experience. Ph.D. Nursing (Desirable)	Assistant Professor	By promotion	8	Rs.67700-208700, Level-11, GP Rs.6600/-	Tutor/ Demonstrator having qualification Of M.Sc. Nursing with total 3 years of regular service at UPUMS in pay level 15600- 39100 +GP 5400, Level 10.	After the abolition and merging the 04 post of lecturer in to Assistant professor. The total post for Assistant professor will be counted as 4+4*= 08
3.	Associate Professor	Direct	1	Rs.78800-209200 Level-12, GP Rs.7600/-	M.Sc. (Nursing) with total 7 years' experience, out of which 3 years teaching experience. - Ph.D. Nursing (Desirable)	Associate Professor	By promotion	1	Rs.78800-209200 Level-12, GP Rs.7600/-	5 years regular service at UPUMS as Assistant Professor in pay level 15600-39100+ GP 6600, Level 11.	NA
4.	Professor	Direct	2	Rs.131100-216600 Level-13A, GP Rs.8900/-	M.Sc. (Nursing) with total 10 years' experience, out of which 5 years teaching experience. - Ph.D. Nursing (Desirable)	Professor	By promotion	2	Rs.131100-216600 Level-13A, GP Rs.8900/-	4 years regular service at UPUMS as Associate Professor in pay level 15600-39100+GP 7600, Level 12	

Note: Time bound promotion is needed for each post. The promotion should not be limited to the availability of post.

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः मा0 कार्य परिषद विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के संकाय सदस्यों हेतु उपरोक्तानुसार प्रोन्नति नीति संरचना निर्धारित करने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित करने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के संकाय सदस्यों हेतु प्रोन्नति नीति संरचना निर्धारित करने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–18</u> **विश्वविद्यालय में सृजित प्रोफेसर (वेतनमान रू0 37400–67000 लेवल–14ए) के पदों को नये उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000 लेवल–15) (सृजित प्रोफेसर के कुल पदों के 40 प्रतिशत सीमा तक) में सृजित किये जाने के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावना</u>:** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000) (सृजित प्रोफेसरों के कुल पदों के 40 प्रतिशत सीमा तक) नये उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में पद सृजित नहीं हैं। अतः इस सुविधा का लाभ उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में पद सृजित किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में। **<u>पृष्ठभूमि</u>:** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में शैक्षणिक संवर्ग के संकाय सदस्यों एवं रेजीडेन्ट डाक्टरों को 7वें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–341/71–4–2018–12/2017 टी0सी0–।। दिनांक 31 मई, 2018 के बिन्दु 4–में "उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000) (सृजित प्रोफेसर के कुल पदों के 40 प्रतिशत सीमा तक) नये उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में पद सृजित नहीं है। अतः इस सुविधा का लाभ उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में देय नहीं होगा" उल्लेख है। उक्त पद की स्वीकृति हेतु मा0 कार्य परिषद की बैठक से अनुमोदन प्राप्त कर उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की अधिनियम, 2015 की धारा–48 में **"विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी"** व्यवस्था दी गई है। उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 द्वारा निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को जारी शासनादेश संख्या–14/2020/321/71–2–20–पी–38/2027 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसके क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0 ने कार्यालय आदेश संख्या पीजीआई/ईआर/एकेड/1032/2020 दिनांक 20.02. 2020 निर्गत किया है जिसके बिन्दु संख्या–4 में **<u>The pay in the case of Professor (AGP Rs. 10500/-) would be level 14-A in the pay Matrix starting from Rs. 168900/- to Rs. 220400/-. The pay of 40% Professor in the HAG would be Level-15 in the pay matrix starting from Rs. 182200/- to Rs. 224100/-.</u>** उल्लेख है। उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 71–4099/1051/2022 दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के विभिन्न विभागों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों का सृजन किये जाने का शासनादेश जारी किया है। **<u>नियम/कृत कार्यवाही/निर्णय</u>:** विश्वविद्यालय में वर्तमान में लगभग प्रोफेसर एवं प्रोफेसर (जू0ग्रे0) के पद पर कुल 86 मेडिकल संकाय कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का स्केल वेतनमान रू0 37400–67000, न्यूनतम वेतन रू0 51600 तथा एकेडमिक ग्रेड वेतन रू0 10500 एवं 7वें वेतनमान के अनुसार रू0 159100–220200, लेवल–14ए

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	में सृजित है। लेवल–14ए में प्रोफेसर का कुल 47 पद सृजित हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000), 7वें वेतनमान के अनुसार रू0 182200–224100, लेवल–15 में सृजित करते हुए कुल पदों के सापेक्ष 40 प्रतिशत सीमा तक सृजित किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया जाना है जिसपर विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। **<u>प्रस्ताव का आधार</u>:** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000) (सृजित प्रोफेसरों के कुल पदों के 40 प्रतिशत सीमा तक) नये उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में पद सृजित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। **<u>प्रस्ताव</u>:** विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का स्केल वेतनमान रू0 37400–67000, न्यूनतम वेतन रू0 51600 तथा एकेडमिक ग्रेड़ वेतन रू0 10500 एवं 7वें वेतनमान के अनुसार रू0 159100–220200, लेवल–14ए में सृजित है। लेवल–14ए में प्रोफेसर के कुल 47 पद सृजित हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000), 7वें वेतनमान के अनुसार रू0 182200–224100, लेवल–15 में सृजित करते हुए कुल पदों के सापेक्ष 40 प्रतिशत सीमा तक सृजित किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन से अनुरोध किये जाने के लिए मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय में सृजित प्रोफेसर (वेतनमान रू0 37400–67000 लेवल–14ए) के पदों (सृजित प्रोफेसर के कुल पदों के 40 प्रतिशत सीमा तक) को नये उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड प्रोफेसर सीनियर स्केल (वेतनमान रू0 67000–79000 लेवल–15) में सृजित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 शासन से अनुरोध किये जाने के लिए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 12–19</u> **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित पैरामेडिकल संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं दन्त विज्ञान संकाय हेतु गैर शैक्षणिक पदों के पर्यवेक्षकीय पदों को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**<u>प्रस्तावना</u>:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के मेडिकल संकाय एवं चिकित्सालय हेतु बेड क्षमता के आधार पर एन0एम0सी मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन विषयक शासनादेश दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से इस विश्वविद्यालय हेतु शासनादेश सं0 File No.71-4099/1051/2022-4-I/280291/2023 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। तद्क्रम में अवगत कराना है कि इस विश्वविद्यालय में मेडिकल के अतिरिक्त अन्य संकाय यथा पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय, फार्मेसी संकाय तथा दन्त विज्ञान संकाय भी संचालित हैं। एन0एम0सी0 मानक के दृष्टिगत जो पद सृजित किये गये हैं उनमें उक्त संकायों हेतु कोई भी पद सृजित नहीं किये गये हैं। **<u>पृष्ठभूमि</u>:** विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी एवं दन्त विज्ञान संकाय हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जो पद सृजित किये गये हैं, उनमें गैर शैक्षणिक के कनिष्ठ पद सृजित हैं, किन्तु प्रशासन एवं लेखा संवर्ग के पर्यवेक्षकीय पद सृजित नहीं हैं। अवगत कराना है कि पैरामेडिकल एवं फार्मेसी संकाय में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ–साथ परास्नातक पी0जी0 पाठ्यक्रम इस वर्ष से प्रारम्भ किया जा चुका है। जबकि नर्सिंग संकाय में पी0जी0 पाठ्यक्रम में इस वर्ष आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। फार्मेसी संकाय में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.11.2024 से

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	04 विभाग स्थापित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी संकाय में स्थापना शाखा, परीक्षा प्रकोष्ठ, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, यू0जी0 एवं पी0जी0 प्रकोष्ठ आदि की स्थापना किया जाना है। इस हेतु पर्यवेक्षकीय पदों की नितान्त आवश्यकता है। **कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णयः** अवगत कराना है कि पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी संकाय में वर्तमान में लगभग 3000 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त संकायों में प्रशासनिक एवं लेखा स्तर के पर्यवेक्षकीय पद सृजित न होने के कारण छात्र/छात्राओं की प्रवेश प्रकिया, फीस, परीक्षा, छात्रवृत्ति, एकैडमिक एक्टिविटी आदि समस्त कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी एवं दन्त विज्ञान संकाय में कार्य की अधिकता होने के दृष्टिगत उक्त चारों संकायों में प्रत्येक संकाय हेतु दो–दो प्रशासनिक अधिकारी एवं एक–एक लेखाधिकारी कुल 08 प्रशासनिक अधिकारी तथा 04 लेखाधिकारी के पद सृजित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। **प्रस्ताव का आधारः** अवगत कराना है कि पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग एवं दन्त विज्ञान संकाय में कार्य की अधिकता एवं पर्यवेक्षकीय पद सृजित न होने के कारण उपरोक्तानुसार पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त सृजित किये जाने वाले पद विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रशासन संवर्ग एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग की अनुमोदित संवर्ग संरचना में सम्मिलित होंगे। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं दन्त विज्ञान संकाय में छात्र/छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया, फीस, परीक्षा, छात्रवृत्ति, एकैडमिक एक्टिविटी तथा अन्य महत्पूर्ण कार्यों के सुचारू एवं ससमय निष्पादन हेतु पर्यवेक्षकीय पद (प्रशासनिक अधिकारी के 08 पद तथा लेखाधिकारी के 04 पद) सृजित किये जाने के लिए प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं दन्त विज्ञान संकाय में छात्र/छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया, फीस, परीक्षा, छात्रवृत्ति, एकैडमिक एक्टिविटी तथा अन्य महत्पूर्ण कार्यों के सुचारू एवं ससमय निष्पादन हेतु पर्यवेक्षकीय पद (प्रशासनिक अधिकारी के 08 पद तथा लेखाधिकारी के 04 पद) सृजित किये जाने, जो कि विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रशासन संवर्ग एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग की अनुमोदित संवर्ग संरचना में सम्मिलित होंगे, के लिए प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 12–20 **विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर सहित समस्त गैरशैक्षणिक Group-A&B कार्मिकों को क्रान्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर को क्रान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने के संबंध में कतिपय सुविधायें अनुमन्य की जा रही हैं। कतिपय गैरशैक्षणिक कार्मिकों को भी उक्त सुविधायें अनुमन्य की जा रही हैं। विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर सहित समस्त गैरशैक्षणिक Group-A&B कार्मिकों को क्रान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td>एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्मिकों की भांति सुविधायें अनुमन्य किये जाने के संबंध में।</td>
<td>
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्मिकों की भांति सुविधायें अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>पृष्ठभूमि/कृत कार्यवाही</u>: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर तथा पशुचिकित्साधिकारी को कांफ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने के संबंध में पूर्व में निम्नवव् सुविधायें अनुमन्य की गई हैं:–

1. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2018 में पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एजेण्डा बिंदु–6 Reimbursement of T.A./D.A./Registration fees for attending the conference & Duty Leave के अन्तर्गत निम्नवत् निर्णय लिया गया था:–

"विद्या परिषद द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि यह केवल ओरिजनल पेपर प्रेजेन्टेशन करने पर तथा मात्र एक नेशनल कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने पर रू0 10,000/– की सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।"

2. विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 2649/01/UPUMS/Estt-IV/22-23 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र सं0 PGI/ER/AK0/2014 दिनांक 22.05.2014 के क्रम में नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गई हैं:–
1. 14 days duty leave for educational programme in one financial year.
2. Permission to attend 02 National Conference under university expenses as per terms & condition of conference leave.

3. विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 3001/यूपीयूएमएस/प्रशासन(325–सी0डी0) /2023–24 दिनांक 30.10.2023 के द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिंदु 11–19 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में सीपीसीएसईए/सीसीएसईए के दिशा–निर्देशों और आई0ए0ई0सी0 के निर्णय के आधार पर, पशु–चिकित्सा अधिकारी और संस्थागत पशु आचार समिति के सदस्यों को नैतिक समीक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जागरूक होने के लिए अनुसंधान नैतिकता में 01 प्रतिवर्ष (रू0 10,000/– तक व्यय सीमा के अन्तर्गत) राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

<u>प्रस्ताव का आधार/निर्णय</u>: विश्वविद्यालय में कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ से अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2024 के द्वारा सूचना मांगी गई जिसके प्रतिउत्तर में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.09.2024 के बिंदु–5 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना निम्नवत् हैः–

<table>
<tr><th></th><th>Information Asked</th><th>Information bei provided</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>Are the same guidelines followed for the candidate on the post of Scientist Grade-1 (Animal House)</td><td>As perAIIMS, New Delhi</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	which are being followed for the Faculty members at SGPGIMS, Lucknow for attending the Conference/ Training/External Meeting/ Workshops/Seminars/ Or please tell about the guidelines which are being followed for the candidates on the Post of Scientist Grade-I (Animal House) or other Non-Teaching Posts.	

यह भी अवगत कराना है कि पशुचिकित्साधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.04. 2010 के द्वारा सूचना मांगी गई जिसके प्रतिउत्तर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पत्र (वर्ष 2010 में निर्गत) के बिंदु–4 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना निम्नवत् हैः–

	Question	**Reply thereon**
4.	Does the Veterinary Officer/Veterinary Scientist get any support by the Insitute (viz TA/DA, Registration Fees, Accommodation charges) for attending the conference related with veterinary.	There is no separate guideline frame for the officers/s Group A,B,C&D. However, their request are considering this Institute as per the guideline frame for Faculty memb in which a faculty member may be permitted to attend t conference/meeting in India/SAARC Countries with TA/D The Registration Fee for upto 3 conferences, which may may not include the ones for which TA/DA is claimed, m be paid by the Institute.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में Group A, B, C & D अधिकारियों/कर्मचारियों को कान्फ्रेंस आदि के लिये अनुमन्य की जा रही सुविधाओं से संबंधित उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर सहित समस्त गैरशैक्षणिक Group- A&B कार्मिकों को क्रान्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्मिकों की भांति सुविधायें, जैसा कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य हैं, अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नियमः एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/1745/ 2016 दिनांक 14/16.04.2016 के द्वारा कान्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को कांफ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर सहित समस्त गैरशैक्षणिक Group-A&B कार्मिकों को क्रान्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्मिकों की भांति सुविधायें, जैसा कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य हैं, अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों व डेमोंस्ट्रेटर सहित समस्त गैरशैक्षणिक Group-A&B कार्मिकों को क्रान्फ्रेंस आदि में

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

प्रतिभाग करने हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कार्मिकों की भांति सुविधायें, जैसा कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य हैं, अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 12–21 **कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु 10–12 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कुल 104 कार्मिकों के एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि परिवर्तित/संशोधित किये जाने के उपरान्त उक्त कार्मिकों द्वारा संशोधन/परिवर्तन व रिकवरी न किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः**– विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान) में वर्ष 2016 से पूर्व गैर शैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के अनुसार सेवा लाभ अनुमन्य होने के कारण एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0आर0 में Satisfactory ग्रेडिंग होने पर ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू थी। वर्ष 2016 में संस्थान के विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के उपरान्त गैर शैक्षणिक कार्मिकों के सेवा लाभ एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अनुसार अनुमन्य किये गये जिसके फलस्वरूप एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू है। एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार ए0सी0आर0 में ग्रेडिंग बेंचमार्क Very Good होना आवश्यक है। उक्त व्यवस्था के आलोक में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को वर्ष 2016 से पूर्व Satisfactory ग्रेडिंग को मानते हुए पूर्व में एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य की गयी। **पृष्ठभूमिः**– विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016 से पूर्व ए0सी0आर0 में Satisfactory ग्रेडिंग प्राप्त हुई थी, किन्तु सम्बन्धित मूल्यांकन वर्ष में उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गयी है, बल्कि प्रशंसित किया गया है, के दृष्टिगत उन्हें ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त Satisfactory ग्रेडिंग को एम0ए0सी0पी0 हेतु अर्ह मानते हुए एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि– "भारत सरकार में लागू शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में यदि शासनादेश के विपरीत कोई कार्यवाही हुई उसको भी दूर किया जाये।" **कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णयः**– मा0 कार्य परिषद के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी पत्र सं0 2550 दिनांक 10.08.2022 के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 5265/5285 दिनांक 16.03.2023/17.03.2023 द्वारा कुल 104 कार्मिकों की एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि संशोधित/परिवर्तित किये जाने के क्रम में उक्त कार्मिकों द्वारा संशोधन/परिवर्तन व रिकवरी न किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। **प्रस्तावः**– मा0 कार्य परिषद द्वारा दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु 10–12 में लिये गये निर्णय बिंदु–(ख) "भारत सरकार में लागू शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में यदि शासनादेश के विपरीत कोई कार्यवाही हुई उसको भी दूर किया जाये।" के अनुपालन में ए0सी0आर0 में वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त Satisfactory ग्रेडिंग के आधार पर कुल 104 कार्मिकों को अनुमन्य की गयी एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को संशोधित/परिवर्तित किये जाने के क्रम में उक्त कार्मिकों द्वारा एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को संशोधित/परिवर्तित व रिकवरी न किये जाने हेतु

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद का निर्णय – कार्य परिषद द्वारा दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु 10–12 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय बिंदु–(ख) के अनुपालन में ए0सी0आर0 में वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त Satisfactory ग्रेडिंग के आधार पर कुल 104 कार्मिकों को अनुमन्य की गयी एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को संशोधित/परिवर्तित किये जाने के संबंध में उक्त कार्मिकों द्वारा एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को संशोधित/परिवर्तित व रिकवरी न किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया कि कार्य परिषद द्वारा दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु 10–12 के अन्तर्गत लिया गया निर्णय नियमसंगत है तथा उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है, उक्त टिप्पणी के साथ प्रकरण निस्तारित किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–22</u> **विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति के पुनर्गठन के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावना</u>:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में एजेण्डा बिन्दु (10–9) के अन्तर्गत कार्य परिषद की बैठक कतिपय कारणों से न होने पाने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोलने व परिणाम घोषित करने में विलम्ब होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर एक एच0आर0 समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था। मा0 कार्य परिषद के उक्त निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 1390/यूपीयूएमएस/ प्रशासन(423)/2022–23 दिनांक 30 अगस्त, 2022 के द्वारा 04 सदस्यीय एच0आर0 समिति का गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य नामित किये गये थे:– 1. प्रतिकुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा। 2. संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा। 3. डा0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ। 4. प्रो0 जी0के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। **<u>पृष्ठभूमि</u>:** अवगत कराना है कि डॉ0 जी0के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ का विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप सं0 I/506386/2024 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1)(ङ) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ0 जी0के0 सिंह के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अतः चूंकि डॉ0 जी0के0 सिंह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में सदस्य नहीं हैं, अत्एव, उनके स्थान पर कार्य परिषद में नामित किसी अन्य वाह्य सदस्य को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति में नामित किये जाने की आवश्यकता है।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>प्रस्तावः विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में डॉ0 जी0के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के स्थान पर नामित सदस्य डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति में सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में डॉ0 जी0के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के स्थान पर नामित सदस्य डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति में सदस्य नामित करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 12–23</u>
श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) के विरूद्ध गेस्ट हाउस पैरामेडिकल की इन्वेन्ट्री में नियमों का उल्लंघन, अनियमितताए किये जाने के संबंध में।</td><td><u>प्रस्तावनाः</u>–श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) को जॉच अधिकारी द्वारा गेस्ट हाउस पैरामेडिकल की इन्वेन्ट्री में नियमों का उल्लंघन, अनियमितताएं में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर दण्ड निर्धारण के संबंध में मा0 कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम में मा0 कार्य परिषद् के समक्ष प्रकरण रखे जाने के संबंध में।

<u>पृष्ठभूमिः</u>–पैरामेडिकल गेस्ट हाउस की सिविल इन्वेन्ट्री निरीक्षण के दौरान श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) के विरूद्ध गेस्ट हाउस पैरामेडिकल की इन्वेन्ट्री में नियमों का उल्लंघन, अनियमितताएं पाये जाने पर जॉच अधिकारी द्वारा श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया मा0 कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम में मा0 कार्य परिषद् के समक्ष प्रकरण रखे जाने के संबंध में।

<u>कृत कार्यवाहीः</u> उक्त प्रकरण में श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) के विरूद्ध पैरामेडिकल गेस्ट हाउस की इन्वेन्ट्री में नियमों का उल्लंघन, अनियमितताएं के आरोप के क्रम में नामित जॉच अधिकारी डॉ0 प्रशान्त मिश्रा, जॉच अधिकारी द्वारा प्रकरण की जॉच कर अपनी जॉच आख्या प्रेषित की गयी जिसमें निष्कर्ष निम्नवत् हैः–

जाँच अधिकारी को श्री राजीव यादव पूर्व प्रभारी पैरामेडिकल गेस्ट हाऊस द्वारा उपलब्ध कराई गई आगन्तुकों की छायाप्रति में किसी भी आगन्तुक का मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं है, जिससे इसकी सत्यतता की जाँच करना संभव नहीं हो पा रहा है तथा आगन्तुकों से प्राप्त नकद धनराशि के सापेक्ष कोई बिल नहीं दिया गया है जो गलत है। उक्त के अतिरिक्त प्राप्त सूची में प्रभारी के रूप में किये गये हस्ताक्षर संदेहप्रद हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। सूची के पृष्ठ संख्या 31, के क्रमांक 28 पर अंकित हैदर अली खान से दूरभाष पर हुई वार्ता में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा फैमली फंक्शन हेतु कमरे एवं डाईनिंग हॉल बुक किया गया था, जिस हेतु नकद धनराशि रू0 15000/– दी गई, जिसकी उन्हें कोई रसीद नहीं मिली है। सूची में उक्त दिनांक में ओवर राईटिंग एवं धनराशि अंकित किये जाने के स्थान पर डैस लगा हुआ है।

उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि को पैरामेडिकल गेस्ट हाऊस के इनकम में शामिल नहीं किया गया है। उक्त कृत्य के दृष्टिगत श्री राजीव यादव, पूर्व प्रभारी पैरामेडिकल</td></tr>
</table>

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 जी0के0 सिंह
कुलपति

	गेस्ट हाऊस प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं। जाँच अधिकारी द्वारा श्री प्रभात अग्निहोत्री, सहायक लेखाकार पैरामेडिकल विज्ञान संकाय द्वारा पैरामेडिकल गेस्ट हाऊस में आने वाले आगन्तुकों से प्राप्त होने वाले नकद धनराशि को रजिस्टर के डिटेल के माध्यम से, बिना बिल बुक किये धन की प्राप्त एवं जमा करना उचित नहीं है। उनके द्वारा उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं वित्त एवं लेखा विभाग से बिल बुक प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, न ही कोई आपत्ति लगाई गई। उक्त के दृष्टिगत श्री प्रभात कुमार अग्निहोत्री, सहायक लेखाकार पैरामेडिकल गेस्ट हाऊस प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं। **<u>जाँच रिपोर्ट के क्रम में श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) एवं श्री प्रभात कुमार अग्निहोत्री द्वारा अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।</u>** **<u>प्रस्ताव का आधारः—</u>** जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट में श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर एवं श्री प्रभात कुमार अग्निहोत्री, लेखाकार कम कैशियर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अतः इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना है। मा0 कुलपति महोदय द्वारा आगामी मा0 कार्य परिषद् की बैठक में प्रकरण रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। **<u>प्रस्तावः—</u>** जॉच अधिकारी की जॉच आख्या पर अभ्यावेदन प्राप्त किये जाने हेतु श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) एवं श्री प्रभात कुमार अग्निहोत्री, लेखाकार कम कैशियर को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी। दोनों कार्मिकों द्वारा अपना अभ्यावेदन में जॉच आख्या के निष्कर्षों को अस्वीकार किया गया, जबकि जॉच अधिकारी द्वारा दोनों कार्मिकों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अतः दोनों कार्मिकों को दण्ड दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
कार्य परिषद का निर्णय — मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, जाँच आख्या के संबंध में श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) एवं श्री प्रभात कुमार अग्निहोत्री, लेखाकार कम कैशियर से प्राप्त अभ्यावदेनों के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि उक्त दोनों कार्मिक नियमों के अन्तर्गत कार्य करने में विफल रहे हैं तथा इनके द्वारा नियमानुसार प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा नियमानुसार कार्य न करने तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने के फलस्वरूप उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—1999 नियम—3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राजीव यादव, जूनियर टीचर (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) एवं श्री प्रभात कुमार अग्निहोत्री, लेखाकार कम कैशियर को लघु शास्ति प्रदान करते हुए परिनिंदा (सेंसर) का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 12—24</u> **कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11—43 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर से प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में प्रकरण में**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** अवगत कराना है कि श्रीमती सरिता, रिकार्ड क्लर्क द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर के विरूद्ध दिनांक 28.11.2022 को शिकायत दर्ज की गयी कि श्री राजीव कुमार द्वारा दिनांक 28.11. 2022 की रात्रि लगभग 10.25 बजे शराब के नशे में आकर उनके दरवाजे में धक्का मारकर दरवाजा खोलने का दबाव बनाया गया है। **<u>पृष्ठभूमिः</u>** श्रीमती सरिता, रिकार्ड क्लर्क द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर की गयी शिकायत की जॉच कार्यालय आदेश सं0

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	383/यूपीयूएमएस/प्रशा0(417)/ 2022–23 दिनांक 29.04.2022 द्वारा गठित The Sexual Harassment of woman at work place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा–4 के अन्तर्गत Internal Complaints Committee के माध्यम से कराया गया तथा उक्त की सूचना पत्र दिनांक 2816/ई/यूपीयूएमएस/अधि0–05(68)2022–23 दिनांक 23.12.2022 द्वारा थानाध्यक्ष, थाना, सैफई, जिला– इटावा को भी प्रेषित की गयी। **<u>कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णय:</u>** उक्त समिति ने पत्र दिनांक 1478/फार्मेसी/ यूपीयूएमएस/2022–23 दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से उक्त प्रकरण की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि समिति द्वारा दिनांक 28.11.2022 एवं 30.11.2022 को प्रकरण की जॉच की गयी। जॉच में श्री राजीव कुमार एवं श्रीमती सरिता तथा गवाहों को सुना गया और लिखित बयान लिए गये। **समिति ने श्री राजीव कुमार अवश्य ही कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध यौन शोषण की परिधि के निकट एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध यौन शोषण के प्रयत्न के दोषी हैं एवं उक्त घटना किसी संस्था में सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त वातावरण के बीच बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है।** तदोपरान्त कार्यालय के पत्र सं0 4445/यूपीयूएमएस/अधि0–05/(68)/2022–23 दिनांक 13.01. 2023 द्वारा श्री राजीव कुमार पर अभ्यारोपित सार की प्रमाणित छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी कि उक्त जॉच के सम्बन्ध में यदि कोई प्रत्यावेदन देना चाहते हैं तो 15 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें। श्री राजीव कुमार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर दोषी पाये जाने की दशा में श्री राजीव कुमार की एक वार्षिक वेतनवृद्धि 02 वर्ष के लिए जाने हेतु <u>मा0 कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में मा0 कार्य परिषद</u> द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः– **"मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या पर श्री राजीव कुमार से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के सम्बन्ध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"** मा0 कार्य परिषद द्वारा लिए गये उपरोक्तानुसार निर्णय के अनुपालन में पत्र सं0 3293 दिनांक 20 नवम्बर, 2023 द्वारा श्री राजीव कुमार को जॉच आख्या की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए 15 दिवसों में उक्त के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। प्रकरण में श्री राजीव कुमार द्वारा पत्र दिनांक 15.12.2023 द्वारा निम्नवत् अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हैः– "भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय केस सं0 376 में दिये गये निर्णय दिनांक 30.03.1999 से अवलोकित होने की कृपा करें, जिसमें एक ही प्रकरण पर होने वाली विभागीय कार्यवाही और आपराधिक

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

कुलपति

	कार्यवाही के मामले में विभागीय कार्यवाही को स्थगन व यथास्थिति में रखने हेतु निर्णय दिया गया है। आदेश की छायाप्रति पर रक्षित है। श्रीमती सरिता के वाद–विवाद के प्रकरण में श्रीमती सरिता द्वारा प्रार्थी के खिलाफ थाने में एफ0आई0आर0 संख्या 0005 दिनांक 03.01.2023 के अन्तर्गत धारा 304(A), 305, 306 आई0पी0सी0 में पंजीकृत करा दिया था, जिसका निर्णय मुकदमा केस सं0 3248/2023 के माध्यम से मा0 न्यायालय, इटावा में विचाराधीन है। मुकदमा की छायाप्रति पर रक्षित है। प्रार्थी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही और अपराधिक कार्यवाही एक ही प्रकरण में प्रचलित है, जिसमें प्रार्थी को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–43 में दण्ड स्वरूप प्रार्थी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि 02 वर्ष के लिए रोके जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें आप द्वारा प्रार्थी को सजा दे दी गयी तो आपका यह निर्णय मा0 न्यायालय, इटावा में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय में नकारात्मक प्रभाव डालेगा और यदि प्रार्थी मा0 न्यायालय, इटावा में प्रचलित आपराधिक कार्यवाही के निर्णय में बरी कर दिया गया तो प्रार्थी के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं होगा।'' **<u>प्रस्ताव का आधार</u>:** अवगत कराना है कि श्री राजीव कुमार द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं साक्ष्यों के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। **<u>प्रस्ताव</u>:** समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रम में श्री राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत पक्ष दिनांक 15.12.2023 का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में The Sexual Harassment of woman at work place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा–4 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय की Internal Complaints Committee की आख्या, आख्या के संबंध में श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर से प्राप्त अभ्यावदेन के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि उक्त कार्मिक कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध यौन शोषण की परिधि के निकट एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध यौन शोषण के प्रयत्न के दोषी हैं। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ स्टोर कीपर को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि को रोकने का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।

<u>एजेण्डा बिन्दु 12–25</u> **श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) के विरूद्ध मेंटल हेरासमेन्ट एण्ड एक्सप्लायटेशन के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावना</u>:**–विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष बैच–2020 की छात्रा रूचि शुक्ला, तानिया, हुमायरा द्वारा श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) के विरूद्ध मेन्टल हेरासमेन्ट एण्ड एक्सप्लायटेशन के आरोप लगाये गये थे। उक्त के क्रम में Internal Complaints Committee द्वारा श्री कृष्णकान्त त्यागी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर Mental Harassment & Torture के रूप में दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यावाही हेतु निर्णय लिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के समक्ष एजेण्डा बिन्दु 11–42 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। कार्य परिषद् के निर्देश के क्रम में प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	पृष्ठभूमिः विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–42 में निर्णय **"मा0 कार्य परिषद् द्वारा श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या पर श्री कृष्णकान्त से 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"** कार्य परिषद् की 11वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कम में श्री **कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया** जिसे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया। **निर्णयः** कार्य परिषद् के निर्णय के कम में श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) द्वारा प्रस्तुत उत्तर मा0 कुलपति महोदय के समक्ष आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में विश्लेषण हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण मा0 कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष बैच–2020 की छात्रा रूचि शुक्ला, तानिया, हुमायरा द्वारा श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) के विरूद्ध मेन्टल हेरासमेन्ट एण्ड एक्सप्लायटेशन के आरोप लगाये गये, Internal Complaints Committee द्वारा प्रकरण की जॉचोपरान्त प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष "समिति द्वारा समस्त तथ्यों, साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण "कार्यस्थल पर यौन शोषण" की परिधि में शामिल नहीं है। यद्यपि कृष्णकान्त त्यागी पद की अधिभावी स्थिति (अर्थात् शिक्षक होने के कारण छात्रों को प्रभाव में लेने) के कारण कक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात् सांय 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य छात्राओं को अपने केबिन में बुलाया जाता है, जो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य योग्य नहीं है। उक्त कृत्य आचरण के विपरीत है। अतः कृष्णकान्त त्यागी उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर Mental Harassment & Torture के रूप में अवश्य दोषी हैं।" एवं श्री कृष्णकान्त, डिमॉन्स्ट्रेटर द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किये जाने के क्रम में आरोप सिद्ध होने अथवा न होने व दण्ड के संबंध में मा0 कार्य परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में The Sexual Harassment of woman at work place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013 की धारा–4 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय की Internal Complaints Committee की आख्या, आख्या के संबंध में श्री कृष्णकान्त त्यागी, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) से प्राप्त अभ्यावदेन के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि श्री कृष्णकान्त त्यागी छात्राओं के Mental Harassment & Torture के रूप में दोषी हैं। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री कृष्णकान्त त्यागी, डिमॉन्स्ट्रेटर (नर्सिंग संकाय) को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत लघु शास्ति प्रदान करते हुए परिनिंदा (सेंसर) का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।

<u>**एजेण्डा बिन्दु 12–26**</u> **डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग की सेवायें**	**प्रस्तावनाः** डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग द्वारा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के विधिक परामर्श दिनांक 08.06.2024 के अनुपालन में लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने एवं

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।	संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत न किये जाने एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित करने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **<u>पृष्ठभूमिः</u>** अवगत कराना है कि अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के विधिक परामर्श दिनांक 08.06.2024 एवं सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 961/उ0प्र0आयु0वि0वि0/अधि0–1 (187)/2024–25 दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग का निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए अग्रिम आदेशों तक संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय के कार्यालय में सम्बद्ध किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त के सम्बन्ध में डा0 समीर सर्राफ द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से बहाली एवं संबद्धता सम्बन्धी जारी कार्यालय आदेश सं0 961/उ0प्र0आयु0वि0वि0/अधि0–1 (187)/2024–25 दिनांक 24.06.2024 को निरस्त कर मूल विभाग में तैनात किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। डा0 समीर सर्राफ द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर से पत्र सं0 1253 दिनांक 19.07.2024 प्रेषित करते हुए पत्र प्राप्ति के 05 दिवसों के अन्दर संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19.07.2024 के क्रम में पुनः डा0 समीर सर्राफ द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से अपने ही कार्डियोलाजी विभाग में ज्वाइनिंग कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी। अवगत कराना है कि पत्र सं0 1647 दिनांक 19.08.2024 के माध्यम से डा0 समीर सर्राफ को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आदेशित किया गया था कि पत्र प्राप्ति के 05 दिवसों के अन्दर संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो दिनांक 24.06.2024 से अनुपस्थिति अवधि तक का वेतन आपको अनुमन्य नहीं होगा एवं आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। संज्ञान में लाना है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित विभिन्न पत्रों के उपरान्त भी डा0 समीर सर्राफ द्वारा संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरन्तर अवहेलना की जा रही है। डा0 समीर सर्राफ का उक्त कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन है तथा उनके विरूद्ध प्रचलित पेसमेकर घोटाले प्रकरण की जाँच को प्रभावित किया जा रहा है। चूंकि डा0 समीर सर्राफ पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सैफई की जाँच में भी मरीजों की जान से खिलवाड़ के आरोप के साक्ष्य मिले हैं।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 [illegible] सिंह
कुलपति

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री इन्दल सिंह पुत्र श्री समुन्द्र सिंह, ग्राम चक दौलतपुर थाना चिकसाना जिला भरतपुर, राजस्थान द्वारा शिकायत की गयी है कि डा0 समीर सर्राफ द्वारा उनके पिताजी का इलाज जिन्दल अस्पताल, भरतपुर में अपना नाम बदलकर किया गया और गलत इलाज से उनकी मृत्यु हो गयी है जिससे पुष्टि होती है कि डा0 समीर सर्राफ प्राइवेट प्रैक्टिस में भी संलिप्त हैं। संज्ञान में लाना है कि डा0 समीर सर्राफ के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का मामला पहले से प्रचलित है तथा वे जमानत पर हैं।

संज्ञान मे लाना है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 2379/यूपीयूएमएस/अधि0–1 (187–सीडी)/2024–25 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए तीन दिवसों में कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 समीर सर्राफ को आदेशित किया गया था किन्तु उक्त के उपरान्त भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

डा0 समीर सर्राफ द्वारा लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की जा रही है और संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय कार्यालय में योगदान आख्या नहीं प्रस्तुत की जा रही है। उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि डा0 समीर सर्राफ अपने उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की लगातार अवहेलना की जा रही है।

<u>नियम</u>: डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग द्वारा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के विधिक परामर्श दिनांक 08.06.2024 के अनुपालन में लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जानी आवश्यक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कर्मचारी पर निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किये जा सकते हैंः –

(क) लघु दण्ड –

(1) सेंसर
(2) पदोन्नति रोकना
(3) वेतन से वसूली, उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण शासन को हुई क्षति की आंशिक या पूर्ण रूप से
(4) वेतन वृद्धि रोकना

(ख) महादण्ड –

(1) सावधि वेतनमान में अवर प्रक्रम पर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति
(2) अवर पद या ग्रेड अथवा अवर वेतनमान में अवनति
(3) वैवश्यक सेवानिवृत्ति
(4) सेवा से हटाना, जो भविष्य में सरकार के अधीन सेवायोजन से निरर्हित नहीं करेगा
(5) सेवा से पदच्युत करना, जो भविष्य में सरकार के अधीन सेवायोजन से सामान्यतः निरर्हित करेगा

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td><u>प्रस्ताव का आधारः</u> अवगत कराना है कि अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के विधिक परामर्श दिनांक 08.06.2024 एवं सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 961/उ0प्र0 आयु0वि0वि0/अधि0–1 (187)/2024–25 दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग का निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए अग्रिम आदेशों तक संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय के कार्यालय में सम्बद्ध किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। विश्वविद्यालय स्तर से अनेको पत्राचार करने के उपरान्त भी डा0 समीर सर्राफ द्वारा अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जा रही है। उक्त के दृष्टिगत डा0 समीर सर्राफ की सेवायें समाप्त करने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु एजेन्डा बिन्दु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः</u> डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग द्वारा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के विधिक परामर्श दिनांक 08.06.2024 के अनुपालन में लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने एवं संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत न करने तथा निरन्तर सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के दृष्टिगत डा0 समीर सर्राफ की सेवायें समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय – डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलाजी विभाग द्वारा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) के विधिक परामर्श दिनांक 08.06.2024 के अनुपालन में लगातार उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने एवं संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत न करने तथा निरन्तर सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा डा0 समीर सर्राफ को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति (सेवा से पदच्युत करना, जो भविष्य में सरकार के अधीन सेवायोजन से सामान्यतः निरर्हित करेगा) प्रदान करते हुए सेवा से हटाये जाने का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि डॉ0 समीर सर्राफ द्वारा मरीजों की जान से खिलवाड़ करने एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग तथा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ को सूचित कर दिया जाये।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 12–27</u>
कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–44 में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने के दृष्टिगत उन्हें बहाल किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत न किये जाने के क्रम में उनकी सेवायें समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त</td>
<td><u>प्रस्तावना</u>:– श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के प्रकरण की जाँचोपरान्त जाँच अधिकारी डा0 अनिल कुमार इरी, प्रोफेसर (जूनि0 ग्रेड), जनरल सर्जरी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के क्रम में प्रकरण को कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

<u>पृष्ठभूमि</u>:– कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिन्दु 11–44 "श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के प्रकरण की जाँचोपरान्त जाँच अधिकारी डा0 अनिल कुमार इरी, प्रोफेसर (जूनि0 ग्रेड), जनरल सर्जरी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के क्रम में प्रकरण को कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने के सम्बन्ध में" के अन्तर्गत प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया थाः–</td>
</tr>
</table>

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

किये जाने के सम्बन्ध में।	"जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 09.05.2022 में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। जाँच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत होने के दृष्टिगत इन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुनः उपस्थित होने को उचित नहीं ठहराया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री के प्रकरण में उन्हें बहाल किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।" उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः– "जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 09.05.2022 में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन (निलम्बित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने तथा जाँच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत होने के दृष्टिगत इन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुनः उपस्थित होने को उचित नहीं ठहराये जाने के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया गया।" **<u>कृत कार्यवाही / नियम / निष्कर्ष / निर्णयः–</u>** मा0 कार्य परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन मेंः– 1. श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर उन्हें कार्यालय आदेश सं0 2930 दिनांक 28.10.2023 द्वारा बहाल किया गया, जिसकी प्रति उन्हें प्रेषित की गयी। 2. तत्क्रम में उनके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 25.11.2023 के क्रम में निर्देशानुसार पुनः पत्र सं0 4721/ई दिनांक 07.02.2024 द्वारा इन्हें मा0 कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय में तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया। 3. श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री द्वारा योगदान प्रस्तुत न करते हुए पुनः ई–मेल पत्र दिनांक 09.03.2024 प्रेषित किया गया, जिस पर वार्तानुसार इन्हें पुनः पत्र सं0 1037/ई दिनांक 20.07.2024 द्वारा मा0 कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी सेवायें समाप्त किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। 4. उक्त के क्रम में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत न करते हुए पुनः पत्र दिनांक 31.08.2024 प्रेषित करते हुए निम्नवत् अनुरोध किया गयाः– submit my statutory complaints to Hon'ble Chancellor Sir through proper channel along with complete proceeding of my complaints, RTI proceeding with order, Hon'ble High Court Allahabad proceeding writ no. 7030/2021 with order and returnable notices along with under mentioned requests:-

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
i. Sir request to take due legal action against established conduct of fraud & forgery with well hatched conspiracy to destroy health life and image defamation of disabled armed forced veteran with exemplary service record throughout.
ii. Please issue my pay and allowances since 21 June 2020 to till date with exemplary cost throughout.
iii. Sir, please issue my comprehensive, transparent reinstment order as per appropriate established norms against impunged suspension order no. 2839/E/UPUMS/Est-II(29)/ 2020-21 dated 16.12.2020 issued by Registrar UPUMS.

<u>प्रस्ताव का आधारः</u>— कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त पत्रों के क्रम में श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत न करते हुए पुनः दिनांक 31.08.2024 को प्रेषित पत्र के क्रम में मा0 कुलपति महोदय द्वारा श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की सेवायें समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

<u>प्रस्तावः</u>— श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर उन्हें कार्यालय आदेश सं0 2930 दिनांक 28.10.2023 द्वारा बहाल किया गया किन्तु बहाली उपरांत विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत न करने के दृष्टिगत श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव है।

<u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुतः</u>— श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर उन्हें कार्यालय आदेश सं0 2930 दिनांक 28.10.2023 द्वारा बहाल किया गया किन्तु बहाली उपरांत इनके द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत न करने एवं अनावश्यक पत्राचार करने के दृष्टिगत श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—1999 नियम—3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय — श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर उन्हें कार्यालय आदेश सं0 2930 दिनांक 28.10.2023 द्वारा बहाल किया गया किन्तु बहाली उपरांत इनके द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत न करने एवं अनावश्यक पत्राचार करने के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री संजय प्रकाश अग्निहोत्री को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—1999 नियम—3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए सेवा समाप्त करने का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 12—28</u>
श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर (परिवर्तित पदनाम—मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड—1) द्वारा विगत 04 वर्षों से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्ति पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td><u>प्रस्तावनाः</u>— श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर द्वारा विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना दिनांक 21.04.2020 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया गया।

<u>पृष्ठभूमिः</u>— श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर द्वारा विश्वविद्यालय से दिनांक 21.04.2020 से वर्तमान अवधि तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के सम्मुख</td>
</tr>
</table>

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

कुलपति

	रखने का निर्णय लिया गया। **कृत कार्यवाही:–** 1. श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना दिनांक 21.04.2020 से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र सं0 418 दिनांक 06.06.2020 के माध्यम से इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 2. उक्त नोटिस के जवाब में श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.06.2020 द्वारा दिनांक 21.04.2020 से पुत्री को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। 3. चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में कार्यालय आदेश सं0 746 दिनांक 14.07.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु जाँच समिति का गठन किया गया, समिति को 15 दिनों के अन्दर जाँच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 4. श्रीमती कल्पना भार्गव को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र सं0 632 दिनांक 18.08.2020 में आदेशित किया गया कि समिति के समक्ष उपस्थित हों जिससे समिति की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। 5. जॉच समिति द्वारा प्रेषित पत्र सं0 669 दिनांक 01.09.2020 के साथ संलग्न जॉच आख्या सं0 668 में अवगत कराया कि श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा आवेदित बाल्य देखभाल अवकाश को स्वीकृत करने का कोई नितिगत आधार नहीं है। उन्हें मात्र उस अवधि के लिए कोविड–19 संबन्धित छूट प्रदान की जा सकती है, परन्तु कोविड महामारी के दौरान बिना अवकाश स्वीकृत हुए अवकाश पर प्रस्थान कर जाने का कृत्य किया गया। 6. कार्यालय आदेश सं0 2293 दिनांक 05.11.2020 द्वारा प्रकरण में डा0 आदेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक को जॉच अधिकारी नामित किया गया। 7. प्रकरण में कार्यालय आदेश सं0 3233 दिनांक 05.01.2021 द्वारा आरोप पत्र जारी करने हेतु संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय को जाँच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। 8. जॉच अधिकारी द्वारा पत्रांक सं0 4113 दिनांक 26.03.2021 द्वारा आरोप–पत्र निर्गत किया गया। आरोप पत्र के जवाब में दिनांक 08.04.2021 को श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा पुत्री को कोरोना से बचाने एवं जून 2021 में वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरांन्त योगदान आख्या प्रस्तुत किए जाने से अवगत कराया गया। 9. समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त उन्हें पुनः कार्यालय पत्रांक सं0 1262 दिनांक 02.08.2021 द्वारा तत्काल विश्वविद्यालय में योगदान प्रस्तुत किये जाने एवं बचाव में लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। 10. उक्त के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा पुनः पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाने एवं अक्टूबर 2021 में विश्वविद्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

किए जाने से अवगत कराया गया।

11. समयावधि बीत जाने के पश्चात श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा योगदान प्रस्तुत न किये जाने के कारण इन्हें पुनः कार्यालय पत्रांक सं0 2364 दिनांक 16.11.2021 द्वारा योगदान प्रस्तुत करने एवं बच्ची की बीमारी से सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर आरोप पत्र के सापेक्ष बचाव में लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12. श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा योगदान प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में कार्यालय पत्रांक सं0 1403 दिनांक 30.08.2022 द्वारा इन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह के अन्दर योगदान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
13. उक्त के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.09.2022 के माध्यम से अपने इलाज से सम्बन्धित चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन संलग्न कर स्वयं के हालत में सुधार होने पर विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने से अवगत कराया गया।
14. तत्क्रम में कार्यालय पत्रांक सं0 1808 दिनांक 04.10.2022 द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव को 03 दिवसों के भीतर अपने चिकित्सा सम्बन्धी प्रपत्र सहित विश्वविद्यालय के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
15. उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से अपने चेहरे एवं गर्दन पर इन्फेक्शन एवं उसका इलाज त्वचा रोग विशेषज्ञ द्वारा चलने तथा स्थिति सामान्य होते ही संस्थान में योगदान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
16. उक्त के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव को कार्यालय पत्रांक सं0 2261 दिनांक 26.11.2022 के द्वारा 03 दिनों के अन्दर चिकित्सा सम्बन्धी प्रपत्रों सहित मेडिकल बोर्ड (विश्वविद्यालय) के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया अन्यथा की स्थिति में सेवायें समाप्त करने हेतु सूचित किया गया।
17. उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से चेहरे एवं गर्दन पर इन्फेक्शन एवं उसका इलाज त्वचा रोग विशेषज्ञ द्वारा चलने तथा स्थिति सामान्य होते ही संस्थान में योगदान प्रस्तुत करने की बात कही गयी।
18. कार्यालय पत्रांक सं0 2261 दिनांक 26.11.2022 के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी प्रपत्र सहित विश्वविद्यालय के मेडिकल बोर्ड समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड को प्रेषित पत्र सं0 4021 दिनांक 15.12.2022 द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव के पत्र व चिकित्सीय प्रपत्रों को संलग्न कर अपनी आख्या प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी।
19. उक्त के क्रम में मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रेषित पत्र सं0 1077 दिनांक 13.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर इन्हें न ही मेडिकल लीव स्वीकृत की जा सकती है और न ही मेडिकल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होने से छूट दी जा सकती है।
20. जाँच अधिकारी डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष से कार्यालय

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डॉ0 पी0के0 सिंह
कुलपति

पत्रांक सं0 5106 दिनांक 03.03.2023 द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव के विरूद्ध प्रचलित जाँच की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

21. डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय, जॉच अधिकरी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 1543 दिनांक 09.03.2023 में अवगत कराया गया कि मा0 कुलपति के निर्देशानुसार श्रीमती कल्पना भार्गव के मेडिकल लीव के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु मेडिकल बोर्ड को पत्र प्रेषित करें।
22. जाँच अधिकारी डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष को कार्यालय पत्र सं0 06 दिनांक 03.04.2023 के साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अपेक्षा की गयी कि श्रीमती कल्पना भार्गव के विरूद्ध प्रचलित कृत कार्यवाही/जॉच रिपोर्ट/जॉच आख्या कार्यालय को उपलब्ध करायें।
23. उक्त के क्रम में डॉ0 कमला पाठक, जॉच अधिकरी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 04 दिनांक 06.04.2023 में अवगत कराया गया कि श्रीमती कल्पना भार्गव द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों एवं मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर कार्मिक को न ही मेडिकल लीव स्वीकृत की जा सकती है और न ही मेडिकल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होने की छूट दी जा सकती है।
24. मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त कुलसचिव द्वारा जारी आदेश सं0 **586/E/UPUMS/ Estt.-II/(242)/2022-23** दिनांक **25.05.2023** द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव, मेडिकल सोशल वर्कर के विरूद्ध उनके प्रारम्भिक आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण तात्कालिक प्रभाव से उन्हें निलम्बित किया गया।
25. पत्रांक सं0 **586/E/UPUMS/ Estt.-II/(242)/2022-23** दिनांक **25.05.2023** के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में रिपोर्ट करने के स्थान पर आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 में पुनः बाल्य देखभाल अवकाश एवं असाधारण अवकाश हेतु अनुरोध किया गया।
26. मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् कार्यालय आदेश सं0 2008 दिनांक 17.08.2023 द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) के प्रकरण में डा0 आई0के0 शर्मा, प्रोफेसर, बाल रोग विभाग को जॉच अधिकारी नामित करते हुए अपेक्षा की गयी कि प्रस्तुत उत्तर एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त अपनी जॉच आख्या प्रस्तुत करेंगे, जिसमें दण्ड की संस्तुति न करते हुए यह उल्लेख करेंगे कि श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) पर लगाये गये आरोप सिद्ध/अर्द्धसिद्ध/असत्य पाये गये।
27. कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 2009 दिनांक 17.08.2023 द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) को आरोप पत्र जारी किया गया।
28. कार्यालय आदेश सं0 2009 दिनांक 17.08.2023 के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01.09. 2023 में अवगत कराया कि प्रार्थिनी अपने खराब स्वास्थ्य एवं अपनी पुत्री की देखभाल हेतु असाधारण अवकाश की प्रार्थी है,

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

डा0 पी0के0 सिंह
कुलपति

	अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थिनी को अपनी पुत्री की देखभाल हेतु बाल्य देखभाल अवकाश एवं असाधारण अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। 29. श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) सम्बन्धी प्रकरण में डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी, द्वारा मा0 कुलपति महोदय को प्रस्तुत किये गये जॉच आख्या दिनांक 24.11.2023 में सम्पूर्ण प्रकरण का निष्कर्ष में निम्नवत् उल्लेख किया गया:– श्रीमती कल्पना भार्गव, मेडिकल सोशल वर्कर द्वारा आरोप पत्र दिनांक 17.08.2023 के क्रम में प्रेषित पत्र दिनांक 01.09.2023 द्वारा आरोप पत्र का उत्तर नहीं दिया गया है, बल्कि अपने खराब स्वास्थ्य एवं अपनी पुत्री की देखभाल हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। श्रीमती कल्पना भार्गव, मेडिकल सोशल वर्कर विगत 3 वर्ष 6 माह से अधिक समय से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित अनुशासनिक जॉच में सहयोग भी नही कर रही हैं। विश्वविद्यालय के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष भी उपस्थित नहीं हो रही हैं। अतः श्रीमती कल्पना भार्गव, मेडिकल सोशल वर्कर मनमाने तरीके से 3 वर्ष 6 माह से अधिक समय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अनुशासनहिनता करने तथा स्वेच्छाचारिता के दृष्टिगत पूर्णतया दोषी हैं। 30. डा0 आई0के0 शर्मा, जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या दिनांक 24.11.2023 को मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय के पत्र सं0 611/E/UPUMS/Estt-6A/242/2024-25 दिनांक 13.06.2024 के साथ संलग्न कर श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) को प्रेषित करते हुए उनसे 15 दिवसों के अन्दर लिखित अभिकथन साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। 31. उक्त के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव (निलम्बित) द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "मैं जाँच आख्या से असहमत हूँ और मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है एवं पीठ में असहनीय दर्द है"। साथ ही इनके द्वारा पुनः असाधारण अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। **नियमः–** उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है:– **<u>लघु शास्तियाँ</u>**– 1. परिनिन्दा 2. किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकना 3. दक्षतारोध को रोकना 4. आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अँशतः वेतन से वसूल किया जाना 5. समूह 'घ' के पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों के मामले में जुर्माना, परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के 25 प्रतिशत से, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, से अधिक नहीं होगी। **<u>दीर्घ शास्तियाँ</u>**– 1. संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि को रोकना 2.

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

पी0के0 सिंह
कुलपति

	किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर अवनति करना 3. सेवा से हटाना, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो 4. सेवा से पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो। **<u>प्रस्ताव का आधार</u>**:– डा0 आई0के0 शर्मा, प्रोफेसर, बाल रोग विभाग द्वारा दिनांक 24.11.2023 को प्रस्तुत जाँच आख्या के निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि श्रीमती कल्पना भार्गव, मेडिकल सोशल वर्कर विगत 3 वर्ष 6 माह से अधिक समय से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित अनुशासनिक जॉच में सहयोग भी नही कर रही हैं। विश्वविद्यालय के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष भी उपस्थित नहीं हो रही हैं। अतः श्रीमती कल्पना भार्गव, मेडिकल सोशल वर्कर मनमाने तरीके से 3 वर्ष 6 माह से अधिक समय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अनुशासनहिनता करने तथा स्वेच्छाचारिता के दृष्टिगत पूर्णतया दोषी हैं। श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर द्वारा विश्वविद्यालय से दिनांक 21.04.2020 से वर्तमान अवधि तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के सम्मुख रखने का निर्णय लिया गया। **<u>प्रस्ताव</u>**:– सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर (परिवर्तित पदनाम–मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड–1) द्वारा विश्वविद्यालय से दिनांक 21. 04.2020 से वर्तमान अवधि तक (विगत 04 वर्षों से अधिक) बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण इनकी सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव है। **<u>प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत</u>**:– श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर (परिवर्तित पदनाम–मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड–1) द्वारा विश्वविद्यालय से दिनांक 21.04.2020 से वर्तमान अवधि तक (विगत 04 वर्षों से अधिक) बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति प्रदान करते हुए श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर (परिवर्तित पदनाम–मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड–1) की सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद का निर्णय – श्रीमती कल्पना भार्गव, (निलम्बित) मेडिकल सोशल वर्कर (परिवर्तित पदनाम–मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड–1) द्वारा विश्वविद्यालय से दिनांक 21.04.2020 से वर्तमान अवधि तक (विगत 04 वर्षों से अधिक) बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा श्रीमती कल्पना भार्गव को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए सेवा समाप्त करने का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।

कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा, उ0प्र0

टेबल एजेण्डा

विश्वविद्यालय में चल रही सर्विसेस का विस्तार 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु किये जाने के संबंध में कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावना: वर्तमान में विश्वविद्यालय में विभिन्न सर्विसेस का उपयोग किया जा रहा है, चिकित्सा अधीक्षक के पत्र सं0 539 दिनांक 18.09.2024 के अनुसार निम्नवत् सर्विसेस का विस्तार 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु किये जाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	सर्विसेस का नाम	फर्म का नाम
1	पेशेंट किचन सर्विसेस	मे0 एस0सी0 अग्रवाल, लखनऊ।
2	सिम्पल वेस्ट सर्विसेस	मे0 श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन, इटावा।
3	सेनीटेशन एण्ड क्लीनिंग सर्विसेस	में0 सन फैसिलिटी सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ।
4	ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 एवं रजिस्ट्रेशन सर्विसेस	मे0 श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन, इटावा।
5	मैकनाईज्ड लाण्ड्री सर्विसेज	मे0 कैण्ट ड्राई क्लीनर्स, लखनऊ।
6	बायोमेडिकल वेस्ट सर्विसेस	मे0 जे0आर0आर0 वेस्ट मै0 प्रा0 लि0, आगरा।
7	सुरक्षा सर्विसेस	मे0 उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, कानपुर।
8	मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेस	मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ।

पृष्ठभूमि: विश्वविद्यालय का 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन शीघ्र ही प्रारम्भ होने जा रहा है। नई निविदा करने में समय लगेगा। अतः वर्तमान निविदा में उपलब्ध नियम शर्तों के अनुसार उक्त का विस्तार 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु किया जाना आवश्यक है। जिससे कि विश्वविद्यालय में आने वाले मरीजों को समुचित सुरक्षा, सुविधा एवं ईलाज उपलब्ध कराया जा सके।

नियम: उपरोक्त सर्विसेज का विस्तार में वर्तमान में चल रही सर्विसेस के कार्यादेश/अनुबंध के अनुसार बढ़ाया जाना नियमानुसार है। जिस पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव: उपरोक्त उल्लेखित 08 सर्विसेस का विस्तार 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किये जाने का अनुमोदन मा0 कार्य परिषद करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु नई निविदा होने तक उपरोक्त उल्लेखित 08 सर्विसेस का विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया गयां। मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि निविदा संबंधी कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण की जाये।

बैठक कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष, कार्य परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।

(डॉ0 चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

(डॉ0 प्रभात कुमार सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 (उपस्थिति)

क्र०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०/ ईमेल	हस्ताक्षर
1	Dr. Prabhat Kumar Singh.	Vice Chancellor.		[signature]
2.	Dr Ramakant Yadav	Pro-Vice Chancellor	9415181190	[signature]
3.	Dr N C Prajapati	Principal GMC Banda	9412014750 drncprajapati@gmail.com	[signature]
4.	Dr. Adesh Kumar	Dean. (Medical)	9045473801 dradeshkumar1974@gmail.com	[signature]
5.	Prof. BIJI BIJU	DEAN FON	8057417116	[signature]
6.	Prof. Kamla Pathak	Dean, Faculty of Pharmacy	8630135023	[signature]
7.	Dr. Usha Shukla	Prof. & Head	941220915	[signature]

कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 (उपस्थिति)

क्र.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं./ ई-मेल	हस्ताक्षर
8.	Vipin Kumar	Chief Accounts officer		[signature]
9.	Dr. Nitya Nand Srivastava	Prof & HOD Anatomy	9758204775	[signature]
10.	Dr Atul Kr. Singh	Dean FODS	9452074574	[signature]
11.	Dr. Jitendra Mathur	Dean, FPS	8057483068	[signature]
12.	Dr S N Sankhwar	Director IMS BHU		Online
13.	Dr Chandra Veer Singh	Registrar		[signature]
14.				